



भारत का पत्रिका
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1975/पौष 24, 1896
No. 7] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1975/PAUSA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January 1975

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Housing Board Act, 1971 (Haryana Act 20 of 1971), as in force in the State of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. Throughout the Act, except as otherwise provided, for the words "Housing Board, Haryana", the words "Housing Board, Chandigarh", for the words "Official Gazette", the words "Chandigarh Gazette", and, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which the words "State Government" occur, such consequential changes as the rules of grammar may require.

2. In section 1, in sub-section (2), for the words "State of Haryana", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

3. In section 2,—

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

"(aa) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;" ;

965

- (b) in clause (j), for the words, figures and brackets "a municipality constituted under the Punjab Municipalities Act, 1911 (Punjab Act 3 of 1911)", the words, figures and brackets "the Chief Administrator exercising powers of a Municipality or any functionary thereof under sub-section (2) of section 7A of the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 (Punjab Act 27 of 1952)" shall be substituted.
- 4. In section 3,—
 - (a) in sub-section (4), for the word "twelve", the word "seven" shall be substituted; and
 - (b) in sub-section (6),—
 - (i) for the words "officer of the State Government", the words "officer employed in connection with the affairs of the Union territory of Chandigarh" shall be substituted; and
 - (ii) the words "and for a period not exceeding one year from such commencement" shall be omitted.
- 5. In section 15, in clause (d), for the word "two-thirds", the word "one-half" shall be substituted.
- 6. In section 56, in sub-section (2), the words "or State Government" shall be omitted.
- 7. In section 60,—
 - (a) in sub-section (4), the words "and one other member" shall be omitted; and
 - (b) in sub-section (5), for the words "State Government", wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.
- 8. In section 73, sub-section (3) shall be omitted.
- 9. In section 80,—
 - (a) the proviso to sub-section (1) shall be omitted; and
 - (b) in sub-sections (2) and (3), for the words "State Government", wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.

ANNEXURE

THE HARYANA HOUSING BOARD ACT, 1971 (HARYANA ACT 20 OF 1971) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to provide for measures to be taken to deal with and satisfy the need of housing accommodation.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Haryana Housing Board Act, 1971.
 - (2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.
 - (3) It shall come into force on such date as the Administrator may be notification appoint in this behalf.
2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "adjoining area" means such area as may be specified to be an adjoining area under section 21;
 - (aa) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;
 - (b) "Board" means the Housing Board, Chandigarh, established and constituted under section 3;

- (c) "Board premises" means any premises belonging to or vesting in the Board or taken on lease by the Board or entrusted to the Board under this Act for management and use for the purposes of this Act;
- (d) "building materials" means such commodities or articles as are specified by the Administrator by notification to be building materials for the purposes of this Act;
- (e) "bye-laws" means bye-laws made under section 75;
- (f) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (g) "competent authority" means and person authorised by the Administrator, by notification, to perform the functions of the competent authority under Chapter VI for such area as may be specified in the notification;
- (h) "Housing Scheme" means a housing scheme made under this Act;
- (i) "land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (j) "Local authority" means the Chief Administrator exercising powers of a Municipality or any functionary thereof under sub-section (1) of section 7A of the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 (Punjab Act 27 of 1952) or a Gram Panchayat constituted under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), or a Panchayat Samiti or a Zila Parishad constituted under the Punjab Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1961 (Punjab Act 3 of 1961), or an Improvement Trust constituted under the Punjab Town Improvement Act, 1922 (Punjab Act 4 of 1922);
- (k) "member" means a member of the Board and includes the Chairman;
- (l) "premises" means any building or part of building and includes,—
- (i) gardens, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of a building; and
 - (ii) any fittings affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof;
- (m) "prescribed" means prescribed by rules;
- (n) "programme" means the annual housing programme prepared by the Board under section 23;
- (o) "regulations" means regulations made under section 74;
- (p) "rent" means the amount payable to the Board in respect of the occupation of the Board's premises and includes the charges for water and electricity payable in respect of water and electricity used or consumed in the premises;
- (q) "Secretary" means the Secretary of the Board;
- (r) "Tribunal" means the Tribunal specified under section 46; and
- (s) "year" means the year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE BOARD

3. **Establishment and constitution of Board.**—(1) With effect from such date as the Administrator may, by notification appoint in this behalf, there shall be established for carrying out the purposes of this Act a Board to be known as "the Housing Board, Chandigarh", with headquarters at such place as the Administrator may specify.

(2) The Board shall, by the name aforesaid, be a body corporate having perpetual succession and a common seal, and subject to any restriction by or under this Act or the rules made thereunder, shall have the power to acquire, hold, administer and transfer property, movable or immovable, and to enter into contracts, and shall by the said name sue or be sued and do all such things as are necessary for which it is constituted.

(3) For the purposes of this Act and the Land Acquisition Act, 1894, the Board shall be deemed to be a local authority.

Explanation.—The purposes of this Act referred to in sub-section (3) include the management and use of lands and buildings belonging to or vesting in the Board under or for the purposes of this Act and the exercise of its rights over and with respect to such lands and buildings for the purposes of this Act.

(4) The Board shall consist of a Chairman and seven other members appointed by the Administrator.

(5) The Chairman or a member may at any time resign his office by submitting his resignation to the Administrator;

Provided that the resignation shall not take effect until it is accepted.

(6) Until the Board is established and constituted in accordance with the provisions of the preceding sub-sections, the Administrator may constitute a Board consisting of one person, who shall be an officer employed in connection with the affairs of the Union territory of Chandigarh to be appointed by the Administrator, and a Board so constituted shall, as from the commencement of this Act, be deemed to be the Board established and constituted for the purpose of carrying out all the provisions of this Act.

4. Non-applicability of East Punjab Act 3 of 1949.—The East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949, shall not apply nor shall be deemed to have ever applied, to any land or building belonging to or vesting in the Board under or for the purposes of this Act, and as against the Board to any tenancies or other like relationship created by the Board in respect of such land or building but shall apply to any land or building let to the Board.

5. Leave of absence of Chairman.—The Administrator may, from time to time, grant to the Chairman such leave as may be admissible under the rules made under this Act and any person whom the Administrator appoints to act for the Chairman during such absence on leave shall, while so acting, be deemed for all purposes of this Act to be the Chairman.

6. Disqualifications.—(1) A person shall be disqualified for being appointed or for continuing as the Chairman or member of the Board, if he,—

- (a) holds any office or place of profit under the Board;
- (b) is of unsound mind;
- (c) is an undischarged insolvent;
- (d) has, directly or indirectly by himself or by any partner, any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board;
- (e) is a Director or a Secretary, Manager or other salaried officer of any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board; or
- (f) has been convicted of any offence involving moral turpitude.

(2) A person shall not be disqualified under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any contract or employment within the meaning of the said clause, by reason only of his or the incorporated company of which he is a Director, Secretary, Manager or other salaried officer, having a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Board is inserted.

(3) A person shall not also be disqualified under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) or be deemed to have any share or interest in any incorporated company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of, the Board, by reason only of his being a shareholder of such company:

Provided that such person discloses to the Administrator the nature and extent of the shares held by him.

7. Terms of office and conditions of service.—(1) Every member shall hold office for a period of three years from the date of his appointment:

Provided that after the expiry of the period of his appointment, a person shall be eligible for reappointment as a member.

(2) Every member shall receive such salary and allowances as may be prescribed.

(3) The salary and allowances to the members shall be paid from the fund of the Board and such salaries and allowances and other conditions of service shall be such as may be prescribed.

8. **Filling of vacancies.**—(1) If a vacancy occurs in the office of Chairman or member by death, resignation, removal, disqualification or otherwise, the vacancy shall be filled by the Administrator by appointing a new Chairman or member to that office.

(2) A Chairman or any member appointed to fill the vacancy shall, notwithstanding anything contained in section 7, hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

9. **Proceedings presumed to be good and valid.**—No disqualification of, or defect in the appointment of, any person acting as a Chairman or a member shall be deemed to vitiate any act or proceedings of the Board if such act or proceeding is otherwise in accordance with the provisions of this Act.

10. **Temporary absence of members.**—If any member of the Board other than the Chairman is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of performing his duties or is absent on leave or on any other ground not resulting in the cessation of his membership, the Administrator may appoint another person to officiate for him and perform his duties under the Act, or any rule or regulation made thereunder.

11. **Officers and servants of Board.**—(1) The Administrator may appoint a Secretary of the Board on such terms and conditions of service as he may deem fit.

(2) The Board may create such other posts and appoint such other officers and servants thereto as it may consider necessary for the efficient discharge of its duties.

Provided that the previous sanction of the Administrator shall be necessary,—

(a) for the creation of any post if either the minimum of the pay scale of the post exceeds eight hundred rupees per month or the maximum of the pay scale thereof exceeds one thousand, two hundred and fifty rupees per month; or

(b) for the appointment, whether by promotion or otherwise, of any person to such post if the initial pay thereof exceeds eight hundred rupees per month or the maximum of the pay scale of the post exceeds one thousand, two hundred and fifty rupees per month.

(3) Subject to the provisions of sub-section (1), the conditions of service, functions and duties of the officers and servants of the Board shall be such as may be determined by regulations.

12. **Provident Fund.**—(1) The Administrator shall establish a Contributory Provident Fund for the officers and servants of the Board and such Provident Fund (hereinafter called "the Fund") shall, notwithstanding anything contained in section 8 of the Provident Fund Act, 1925, be deemed to be a Government Provident Fund for the purposes of the said Act.

(2) The Board shall in respect of each of its employees who is a subscriber to the Fund, pay into the Fund such portion of the contribution in such manner as the Administrator may, from time to time, determine.

13. **General disqualifications of officers and servants.**—No person who has, directly or indirectly, by himself or his partner or agent, any share or interest in any contract, by or on behalf of the Board, or in any employment under, by or on behalf of the Board, otherwise than as an officer or servant thereof, shall become or remain an officer or servant of the Board.

14. **Appointment of Committees.**—Subject to any rules made under this Act, the Board may, from time to time, and for any particular local area appoint one or more committees for the purpose of discharging such duties or performing such functions as it may delegate to them and any such committee may discharge such duties or perform such functions with due regard to the circumstances and requirements of that local area.

15. **Meetings of the Board.**—The Board shall meet and shall from time to time make such bye-laws with respect to the day, time, place, notice, management and adjournment of its meetings as it thinks fit, subject to the following provisions, namely:—

(a) an ordinary meeting shall be held once at least every month;

(b) the Chairman may, whenever he thinks fit, call special meetings;

(c) every meeting shall be presided over by the Chairman and in his absence by any member chosen by the members present at the meeting for the occasion;

(d) the quorum for every meeting shall be one-half of the number of members actually serving for the time being;

- (e) all questions at any meeting shall be decided by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the person presiding shall in addition to his vote as a member, have second or casting vote; and
- (f) the minutes of the proceedings of each meeting shall be recorded in a book to be provided for the purpose and a copy of such minutes shall be forwarded to the Administrator.

16. Association of persons with Board.—(1) The Board may associate with itself, any person whose assistance or advice it may deem fit for carrying into effect any of the provisions of this Act.

(2) A person associated with the Board under sub-section (1) for any purpose shall have the right to take part in the meetings of the Board relevant to that purpose, but shall not have the right to vote.

(3) The Administrator may, by order, depute his representatives to attend any meeting of the Board, on such items or subjects as the Administrator may specify, but such representatives shall not have the right to vote.

17. Power to make contract.—The Board may enter into and perform or require the performance of all such contracts as it may consider necessary or expedient for carrying out any of the purposes of this Act.

18. Execution of contracts.—(1) Every contract shall be made in the name of the Board and shall be signed for and on behalf of the Board by the Chairman:

Provided that no contract involving an expenditure of five lakhs rupees or more shall be made without the previous sanction of the Administrator unless the Administrator permits the Board in writing to make a contract involving an expenditure exceeding five lakhs rupees.

(2) Sub-section (1) shall apply to every variation or abandonment of a contract or estimate as well as to an original contract or estimate.

(3) Every contract by the Chairman on behalf of the Board shall, subject to the provisions of this section, be entered into in such manner and form as may be prescribed.

(4) A contract not made or executed as provided in this section and the rules made thereunder shall not be binding on the Board.

19. Delegation of Board's powers to sanction contracts.—Subject to any rules, which the Administrator may make in this behalf, the Board may by order direct that the power conferred on it under section 18 to sanction a contract shall be exercised by the Chairman or any other officer authorised by it in the order.

CHAPTER III

HOUSING SCHEME

20. Duty of Board to undertake housing schemes.—Subject to the provisions of this Act and subject to the control of the Administrator, the Board may incur expenditure and undertake works in any area for the framing and execution of such housing schemes as it may consider necessary from time to time or as may be entrusted to it by the Administrator.

21. Matter to be provided for by housing schemes.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a housing scheme may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) acquisition by purchase, exchange or otherwise of any property necessary for or affected by the execution of the scheme;
- (b) acquisition by purchase, exchange or otherwise of any land, division of the same into plots and the sale thereof after developing it or otherwise to co-operative societies or other persons, in accordance with the scheme;
- (c) laying or re-laying out of any land comprised in the scheme;
- (d) distribution or re-distribution of sites belonging to owners of property comprised in the scheme;
- (e) the closure or demolition of dwellings or portions of dwellings unfit for human habitation;
- (f) demolition of obstructive buildings or portions of buildings;
- (g) the construction and re-construction of buildings, their maintenance and preservation;

- (h) sale, letting or exchange of any property comprised in the scheme;
- (i) construction and alteration of streets and back lanes;
- (j) drainage, water-supply and lighting of the area included in the scheme;
- (k) parks, playing-fields and open spaces for the benefit of any area comprised in the scheme and the enlargement of existing parks, playing-fields, open spaces and approaches;
- (l) sanitary arrangements required for the area comprised in the scheme, including the conservation and prevention of any injury or contamination to rivers of other sources and means of water-supply;
- (m) accommodation for any class of inhabitants, industries, institutions, offices, local authorities, cooperatives or corporate bodies;
- (n) advance of money for the purpose of the scheme;
- (o) facilities for communication and transport;
- (p) collection of such information and statistics as may be necessary for the purposes of this Act; and
- (q) any other matter for which, in the opinion of the Administrator, it is expedient to make provision with a view to provide housing accommodation and, or, to the improvement or development of any area comprised in the scheme or any adjoining area or the general efficiency of the scheme.

Explanation.—For the purposes of this section the Administrator may, on the recommendation of the Board, by notification, specify area surrounding or adjoining the area included in a housing scheme to be the adjoining area.

22. No housing scheme to be made for area included in improvement scheme or be inconsistent with town planning scheme.—(1) No housing scheme shall be made under this Act for any area for which an improvement scheme has been sanctioned by the Administrator under the Punjab Town Improvement Act, 1922, or any other enactment for the time being in force, nor any housing scheme made under this Act shall contain anything which is inconsistent with any of the matter included in a town planning scheme sanctioned by the Administrator under the Punjab Municipal Act, 1911, or other enactment for the time being in force.

(2) If any dispute arises whether a housing scheme made under this Act includes any area included in an improvement scheme sanctioned under any enactment referred to in sub-section (1) or contains anything inconsistent with any matter included in a town planning scheme sanctioned under the Punjab Municipal Act, 1911, or any other enactment for the time being in force, the same shall be referred to the Administrator whose decision shall be final.

23. Preparation and submission of annual programme, budget and establishment schedule.—(1) Before the first day of December in each year, the Board shall prepare and forward to the Administrator in such form as may be prescribed,—

- (i) a programme;
- (ii) a budget for the next year; and
- (iii) a schedule of the staff of officers and servants already employed and to be employed during the next year.
- (2) The programme shall contain,—
- (i) such particulars of housing schemes which the Board proposes to execute whether in part or whole during the next year as may be prescribed;
- (ii) the particulars of any undertaking which the Board proposes to organise or execute during the next year for the purpose of the production of building materials; and
- (iii) such other particulars as may be prescribed.

(3) The budget shall contain a statement showing the estimated receipts and expenditure on capital and revenue accounts for the next year.

24. Sanction to programme, budget and establishment schedule.—The Administrator may sanction the programme, budget and the schedule of the staff of officers and servants forwarded to it with such modification as if deemed fit.

25. Publication of sanctioned programme.—The Administrator shall publish the programme sanctioned by it under section 24 in the Chandigarh Gazette.

26. **Supplementary programme and budget.**—The Board may, at any time during the year, in respect of which a programme has been sanctioned under section 24, submit a supplementary programme and budget and the additional schedule of the staff, if any, to the Administrator and the provisions of sections 24 and 25 shall apply to such supplementary programme.

27. **Variation of programme by Board after it has been sanctioned.**—The Board may, at any time, vary any programme or any part thereof sanctioned by the Administrator:

Provided that no such variation shall be made if it involves an expenditure in excess of ten per centum of the amount as originally sanctioned for the execution of any housing scheme included in such programme or affects its scope or purpose.

28. **Sanctioned housing scheme to be executed.**—After the programme has been sanctioned and published by the Administrator under sections 24 and 25, the Board shall, subject to the provisions of section 27, proceed to execute the housing schemes included in the programme.

29. **Publication of housing scheme in the Chandigarh Gazette.**—(1) Before proceeding to execute any housing scheme under section 28, the Board shall by notification publish the scheme. The notification shall specify that the plan showing the area which is proposed to be included in the housing scheme and the surrounding lands shall be open to inspection of the public at all reasonable hours at the office of the Board.

(2) If within two weeks from the date of the publication of the housing scheme any person communicates in writing to the Board any suggestion or objection relating to the scheme, the Board shall consider such suggestion or objection and may modify the scheme as it thinks fit.

(3) The Board shall then by notification publish the final scheme. The notification shall specify that the plan showing the area included in the final scheme and the surrounding lands and other particulars as may be prescribed shall be open to inspection of the public at all reasonable hours at the office of the Board.

(4) The publication of a notification under sub-section (3) shall be conclusive evidence that the said scheme has been duly framed.

30. **Transfer to Board for purpose of housing scheme of land vested in a local authority.**—(1) Whenever any street, square or other land, or any part thereof, situated in any area of a local authority and vested in the local authority, is required for the purpose of any housing scheme sanctioned by the Administrator, the Board shall give notice accordingly to the local authority.

(2) Where the local authority concurs, such street, square or other land, or part thereof, shall vest in the Board.

(3) Where there is any dispute the matter shall be referred to the Administrator. The Administrator shall, after hearing the parties, decide the matter. The decision of the Administrator shall be final. If the Administrator decides that such street, square or land shall vest in the Board, it shall vest accordingly.

(4) Nothing in this section shall affect the rights or powers of the local authority in or over any drain or water works in such street, square or land.

31. **Compensation in respect of land vested in Board.**—(1) Where any land vests in the Board under the provisions of section 30 and the Board makes a declaration that such land shall be retained by the Board only until it re-vests in the local authority as part of a street or an open space under section 34, no compensation shall be payable by the Board to the local authority in respect of that land.

(2) Where any land vests in the Board under section 30 and no declaration is made under sub-section (1) in respect of the land, the Board shall pay to the local authority as compensation a sum equal to the value of such land.

(3) If, in any case where the Board has made a declaration in respect of any land under sub-section (1), the Board retains or disposes of the land contrary to the terms of the declaration so that the land does not re-vest in the local authority, the Board shall pay to the local authority compensation in respect of such land in accordance with the provisions of sub-section (2).

32. **Power of Board to turn or close public street vested in it.**—(1) The Board may turn, divert, discontinue the public use of, or permanently close, any public street vested in it or any part thereof.

(2) Whenever the Board discontinues the public use of, or permanently closes, any public street vested in it or any part thereof, it shall, as far as practicable, provide some other reasonable means of access to be substituted in lieu of the use, by those entitled, of the street or part thereof and pay reasonable compensation to every person who is entitled, otherwise than as a mere member of the public to use such street or part as a means of access and has suffered damage from such discontinuance or closing.

(3) In determining the compensation payable to any person under sub-section (2), the Board shall make allowance for any benefit accruing to him from the construction, provision or improvement of any other public street at or about the same time that the public street or part thereof, on account of which the compensation is paid, is discontinued or closed.

(4) When any public street vested in the Board is permanently closed under sub-section (1), the Board may sell or lease so much of the same as is no longer required.

33. Reference to Tribunal in case of dispute under sections 31 and 32.—If there is any dispute as to whether any compensation is payable under section 31 or section 32 or as to the amount of compensation payable under section 31 or section 32, as the case may be, the matter shall be referred to the Tribunal.

34. Vesting in the local authority of streets laid out or altered and open spaces provided by Board under housing scheme.—(1) Whenever the Administrator is satisfied,

(a) that any street laid out or altered by the Board has been duly levelled, paved, metalled, flagged, channelled, sewered and drained in the manner provided in the programme sanctioned by the Administrator under section 24 or varied under section 27 or modified under section 29;

(b) that such lamps, lamp-posts and other apparatus as the local authority considers necessary for the lighting of such street and as ought to be provided by the Board have been so provided; and

(c) that water and other sanitary conveniences have been duly provided in such street;

the Administrator may declare the street to be a public street, and the street shall thereupon vest in the local authority and shall thenceforth be maintained, kept in repair, lighted and cleaned by the local authority.

(2) When any open space for the purposes of ventilation or recreation has been provided by the Board in executing any housing scheme, it shall on completion be transferred to the local authority concerned, by resolution of the Board, and shall thereupon vest in, and be maintained at the expense of, the local authority.

(3) If any difference of opinion arises between the Board and the local authority in respect of any matter referred to in the foregoing provisions of this section the matter shall be referred to the Administrator whose decision shall be final.

35. Other duties of Board.—It shall be the duty of the Board to take measures with a view to expediting and cheapening construction of buildings and the Board may for that purpose do all things for—

(a) unification, simplification and standardisation of building materials;

(b) encouraging pre-fabrication and mass production of house components;

(c) organising or undertaking the production of building materials required for the housing schemes;

(d) encouraging research for discovering cheap building materials and evolving new methods of economic construction;

(e) securing a steady and sufficient supply of workmen trained in the work of construction of buildings.

36. Board to assume management of requisitioned lands.—The Board shall, if the Administrator so directs and subject to the general control of the Administrator, assume management of all or any of the lands requisitioned by or under authority of the Administrator.

37. Reconstitution of plots.—A housing scheme may provide,—

(a) for the formation of a reconstituted plot by the alteration of the boundaries of an original plot;

(b) with the consent of the owners that two or more original plots each of which is held in ownership in severally or in joint ownership shall, with or without alteration of boundaries, be held in ownership in common as a reconstituted plot;

(c) for the allotment of a plot of any owner dispossessed of land in furtherance of the housing scheme; and

(d) for the transfer of ownership of plot from one person to another.

38. **Scheme entrusted to Board by Administrator.**—The provisions of section 21 and sections 23 to 29 (both inclusive) shall not be applicable to any housing scheme entrusted to the Board by the Administrator except to such extent and subject to such modifications as may be specified in any general or special order made by the Administrator and every such order shall be published in the Chandigarh Gazette.

CHAPTER IV

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

39. **Power to purchase lease or acquire land.**—(1) The Board may enter into an agreement with any person or the Administrator for the acquisition from him by purchase, lease or exchange, of any land which is needed for the purposes of a housing scheme or any interest in such land or for compensating the owners of any such right in respect of any deprivation thereof or interference therewith:

Provided that the previous approval of the Administrator shall be obtained in case of purchase or exchange involving land worth more than one lakh rupees or lease for more than five years.

(2) The Board may, from such date as the Administrator may appoint by notification in this behalf, also take steps for the compulsory acquisition of any land or any interest therein required for the execution of a housing scheme in the manner provided in the Land Acquisition Act, 1894 as modified by this Act; and the acquisition of any land or any interest therein for the purpose of this Act shall be deemed to be acquisition for a public purpose within the meaning of the Land Acquisition Act, 1894.

40. **Betterment charges.**—(1) When by the making of a housing scheme the value of any land in the area comprised in the scheme will, in the opinion of the Board, be increased, the Board in framing the scheme may declare that betterment charges shall be payable by the owners of the land or any person having an interest therein in respect of the increase in value of the land from the execution of the scheme.

(2) Such increase in value shall be the amount by which the value of the land on the completion of the execution of the scheme estimated as if the land were clear of the buildings exceeds the value of the land prior to the execution of the scheme estimated in like manner and the betterment charges shall be one-half of such increase in value.

(3) Such betterment charges shall also be leviable in respect of any land not comprised in the scheme but adjacent to the area comprised in the scheme.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), in respect of any land used for agricultural purposes at the time of the execution of the schemes the betterment charges shall be leviable by the Board in accordance with such procedure as may be prescribed, only after such land is used or converted for use for non-agricultural purposes.

41. **Notice to person liable for betterment charges.**—(1) The Board shall give notice in the prescribed form to any person, who is the owner of or has interest in the land in respect of which the betterment charges are to be levied and shall give such person an opportunity to be heard.

(2) After hearing such person or if such person fails to appear after the expiry of the period within which such person is required to appear before the Board, the Board shall proceed to assess the amount of betterment charges.

(3) Where the assessment of betterment charges proposed by the Board is accepted by the person concerned within the period prescribed, the assessment shall be final.

(4) If the person concerned does not accept the assessment proposed by the Board, the matter shall be referred to the Tribunal.

(5) The Tribunal shall, after holding an enquiry and after hearing the person concerned, assess the amount of the betterment charges payable by the person.

42. **Agreement for payment of betterment charges.**—(1) Any person liable to pay betterment charges in respect of any land may at his option, instead of paying the same to the Board, execute an agreement with the Board to leave the payment outstanding as a charge on his interest in the land, subject to the payment in perpetuity of interest at such rate as may be prescribed.

(2) Every payment due from any person in respect of betterment charges and every charge referred to in sub-section (1) shall, notwithstanding anything contained in any other enactment and notwithstanding the execution of any mortgage or charge, created either before or after the commencement of this Act, be the first charge upon the interest of such person in such land.

43. **Recovery of betterment charges.**—All sums payable in respect of any land by any person in respect of betterment charges under section 40 or by any person under an agreement under section 42 shall be recoverable on behalf of the Board as arrears of land revenue.

44. **Power to dispose of land.**—Subject to any rules made by the Administrator under this Act, the Board may retain, lease, sell, exchange or otherwise dispose of any land, building or other property vested in it and situate in the area comprised in any housing scheme sanctioned under this Act.

45. **Disputes regarding re-constitution of plots.**—(1) Where by the making of a housing scheme, any plots comprised in the area included in the scheme are reconstituted or any person is dispossessed, the Board shall after making such inquiry as it thinks fit award to the person affected by such reconstitution or dispossession such compensation as it deems reasonable. If the person is dissatisfied with the decision of the Board in the matter, he may inform the Board accordingly. The Board shall thereupon refer the matter to the Tribunal.

(2) The Tribunal shall then after making an inquiry determine the amount of compensation and direct the Board to pay the same to the person concerned.

CHAPTER V

TRIBUNAL

46. **Tribunal.**—The Tribunal shall be the District Judge having jurisdiction in the area concerned.

47. **Duties of Tribunal.**—The Tribunal shall—

- (a) decide whether any compensation is payable under section 31;
- (b) decide the amount of compensation in matters referred to it under section 33;
- (c) decide disputes relating to betterment charges referred to it under section 41;
- (d) decide disputes and the amount of compensation to be awarded under section 45; and
- (e) decide such other matters as may be prescribed by the rules made in this behalf.

48. **Powers of and procedure before Tribunal.**—(1) In making enquiries the Tribunal shall have and exercise, as far as may be, the same powers and follow the same procedure as under the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) Every order made by the Tribunal for the payment of money and for the delivery of the possession or removal of any structure shall be enforced by the District Court as if it were the decree of the said Court.

(3) The proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

49. **Decision of Tribunal to be final.**—The decision of the Tribunal on any matter referred to it under this Act, shall, subject to the provision of section 50, be final.

50. **Appeal to the High Court.**—The Board or any person aggrieved by a decision of the Tribunal may within three months from the date of the decision or such further time as the High Court may for sufficient cause allow, appeal to the High Court and the High Court shall pass such orders on the appeal as it thinks fit.

CHAPTER VI

POWER TO EVICT PERSONS FROM BOARD PREMISES

51. **Power to evict persons from Board premises.**—(1) If the competent authority is satisfied,—

- (a) that the person authorised to occupy any Board premises has—
 - (i) not paid rent lawfully due from him in respect of such premises for a period of more than two months; or

278

(ii) sublet, without the permission of the Board the whole or any part of such premises; or

(iii) otherwise, acted in contravention of any of the terms, expressed or implied, under which he is authorised to occupy such premises; or

(b) that any person is in unauthorised occupation of any Board premises:

the competent authority may, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, by notice served by post or by affixing a copy of it on the outer door or some other conspicuous part of such premises, or in such other manner as may be prescribed, order that that person as well as any other person who may be in occupation of the whole or any part of the premises, shall vacate them within one month from the date of the service of the notice:

Provided that no such order shall be passed unless the person has been offered an opportunity to show cause why such order should not be made.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the competent authority may evict that person from, and take possession of the premises and may for that purpose use such force as may be necessary.

(3) If a person, who has been ordered to vacate any premises under sub-clause (i) or sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (1), within thirty days of the date of service of the notice or such longer time as the competent authority may allow, pays to the Board the rent in arrears or carries out or otherwise complies with the terms contravened by him to the satisfaction of the competent authority, as the case may be, the competent authority shall, in lieu of evicting such person under sub-section (2), cancel its order made under sub-section (1) and thereupon such person shall hold the premises on the same terms on which he held them immediately before such notice was served on him.

52. Power to recover rent or damages as arrears of land revenue.—(1) Subject to any rules made by the Administrator in this behalf and without prejudice to the provisions of section 51, where any person is in arrears of rent payable in respect of any Board premises, the competent authority may, by notice served by post or by affixing a copy of it on the outer door or some other conspicuous part of such premises, or in such other manner as may be prescribed, order that person to pay the same within such time not being less than thirty days as may be specified in the notice. If such person refuses or fails to pay the arrears of rent within the time specified in the notice, such arrears may be recovered as arrears of land revenue.

(2) Where any person is in unauthorised occupation of any Board premises, the competent authority may, in the prescribed manner, assess such damages on account of the use and occupation of the premises as it may deem fit, and may by notice served by post, or by affixing a copy of it on the outer door or some other conspicuous part of such premises or in such other manner as may be prescribed, order that person to pay the damages within such time not being less than thirty days as may be specified in the notice. If any person refuses or fails to pay the damages within the time specified in the notice, the damages may be recovered from him as arrears of land revenue.

53. Rent to be recovered by deduction from salary or wages in certain cases.—(1) Without prejudice to the provisions of section 51 any person, who is an employee of the Administrator or a local authority and who has been allotted any Board premises, may execute an agreement in favour of the Administrator providing that the Administrator or the local authority, as the case may be, under or by whom he is employed, shall be competent to deduct from the salary or wages payable to him such amount as may be specified in the agreement and to pay the amount so deducted to the Board in satisfaction of the rent due from him in respect of the Board premises allotted to him.

(2) On the execution of such agreement, the Administrator or local authority, as the case may be, shall, if so required by the Board by requisition in writing make the deduction of the amount specified in the requisition from the salary or wages of the employees specified in the requisition in accordance with the agreement and pay the amount so deducted to the Board.

54. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the competent authority under section 51 or section 52 may, within thirty days from the date of the service of the notice under section 51 or section 52, as the case may be, prefer an appeal to the District Judge of the District in which the premises of the Board are situated or such other Judicial Officer in that District as the Administrator may appoint in this behalf:

Provided that the appellate officer may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred under sub-section (1), the appellate officer may stay the enforcement of the order of the competent authority for such period and on such conditions as he deems fit.

(3) Every appeal under this section shall be disposed of by the appellate officer as expeditiously as possible.

55. Finality of orders and bar of jurisdiction of Civil Courts.—(1) Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by a competent authority or an appellate officer under this chapter shall be final and shall not be called in question in any original suit, application or execution proceedings.

(2) No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter of which the cognizance can be taken of and disposed of by any authority, empowered by this Act or the rules made thereunder.

CHAPTER VII

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

56. Board's Fund.—(1) The Board shall have a fund called the Housing Board Fund.

(2) The Board may accept grants, subventions, donations and gifts from the Central Government or a local authority or any individual or body, whether incorporated or not, for all or any of the purposes of this Act.

(3) All moneys received by or on behalf of the Board by virtue of this Act, all proceeds of land or any other kind of property sold by the Board, all rents and all interest, profits and other moneys accruing to the Board, shall constitute the Housing Board Fund.

(4) Except as otherwise directed by the Administrator, all moneys and receipts specified in the foregoing provisions and forming part of the fund of the Board shall be deposited in the State Bank of India or in any Scheduled Bank or a Co-operative Bank or invested in such securities as may be approved by the Administrator.

(5) Such accounts shall be operated upon by such officers as may be authorised by the Board.

Explanation.—For the purposes of this section, a Schedule Bank shall mean a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

57. Application of the Housing Board Fund.—All property, the Housing Board, and Fund, and all other assets vesting in the Board shall be held and applied by it, subject to the provisions and for the purposes of this Act.

58. Expenditure in case of urgency, etc.—(1) Where in the opinion of the Board circumstances of extreme urgency have arisen, it shall be lawful for the Board to make for the purpose of this Act in any year, an expenditure of such amount as may be prescribed, notwithstanding the fact that such expenditure has not been included in its annual programme or supplementary programme sanctioned by the Administrator or the variation of the programme made under section 28.

(2) Where any sum is expended under circumstances of extreme urgency as provided in sub-section (1), a report thereof indicating the source from which it is proposed to meet the expenditure shall be made by the Board as soon as practicable to the Administrator.

(3) The Board may, within the budget sanctioned by the Administrator, approve appropriation not exceeding such amount as may be prescribed from one head to another and from one minor head to another under the same major head and submit a statement of such reappropriation to the Administrator.

59. Subventions and loans to Board.—(1) The Administrator may from time to time make subventions to the Board for the purposes of this Act on such terms and conditions as the Administrator may determine.

(2) The Administrator may from time to time advance loans to the Board on such terms and conditions not inconsistent with the provisions of this Act as the Administrator may determine.

60 Power of Board to borrow.—(1) The Board may from time to time, with the previous sanction of the Administrator and subject to the provisions of this Act and to such conditions as may be prescribed in this behalf, borrow any sum required for the purposes of this Act.

(2) The rules made by the Administrator for the purposes of this section may empower the Board to borrow by the issue of debentures and to make arrangements with bankers.

(3) All debentures issued by the Board shall be in such form as the Board, with the sanction of the Administrator, may from time to time determine.

(4) Every debenture shall be signed by the Chairman.

(5) Loans borrowed and debentures issued under this section may be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government.

61. Accounts and Audit.—(1) The Board shall cause to be maintained proper books of accounts and such other books as the rules made under this Act may require and shall prepare in accordance with such rules an annual statement of accounts.

(2) The Board shall cause its accounts to be audited annually by such persons as the Administrator may direct.

(3) As soon as the accounts of the Board have been audited, the Board shall send a copy thereof together with a copy of the report of the auditor thereon to the Administrator and shall cause the accounts to be published in the prescribed manner and place copies thereof on sale at a reasonable price.

(4) The Board shall comply with such directions as the Administrator may after perusal of the report of the auditor think fit to issue.

62. Concurrent and special audit of account.—(1) Notwithstanding anything contained in section 61 the Administrator may order that there shall be concurrent audit of the accounts of the Board by such person as it thinks fit. The Administrator may also direct a special audit to be made by such person as he thinks fit of the accounts of the Board relating to any particular transaction or a class or series of transactions or to a particular period.

(2) Where an order is made under sub-section (1), the Board shall present or cause to be presented for audit such accounts and shall furnish to the person appointed under sub-section (1) such information as he may require for the purpose of audit.

63. Transfer of assets and liabilities.—(1) The Administrator may transfer to the Board building, land or any other property, movable or immovable, for use and management by the Board on such conditions and limitations as the Administrator may deem fit for the purposes of this Act.

(2) The Administrator may transfer to the Board such schemes or works in progress, with all their assets and liabilities as are run or managed by the Administrator, subject to such conditions and limitations as the Administrator may deem fit to impose for the purposes of this Act.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

64. Report.—The Board shall, before such date and in such form and at such intervals as may be prescribed, submit to the Administrator a report on such matters as may be prescribed and the Administrator shall cause such report to be published in the Chandigarh Gazette.

65. Statements and returns.—The Board shall also submit to the Administrator such statistics, returns, particulars or statements in regard to any proposed or existing housing schemes at such times and in such form and manner as may be prescribed or as the Administrator may from time to time direct.

66. Power of entry.—The Chairman or any person either generally or specially authorised by the Chairman in this behalf may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land, in order—

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(b) to take levels;

(c) to dig or bore into the sub-soil;

(d) to set boundaries and intended lines of work;

(e) to make such levels, boundaries and lines of works and cutting trenches; or

(f) to do any other thing, whenever it is necessary to do so, for any of the purposes of this Act or any rules made or scheme sanctioned thereunder:

Provided that—

- (i) no such entry shall be made between sunset and sunrise;
- (ii) no dwelling house and no public building which is used as a dwelling place, shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, and without giving the said occupier at least twenty-four hours' previous written notice of the intention to make such entry;
- (iii) sufficient notice shall in every instance be given, even when any premises may otherwise be entered without notice, to enable the inmates of any apartment occupied by women to remove themselves to some part of the premises where their privacy will not be disturbed;
- (iv) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purposes for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.

67. Notice of suit against Board.—No person shall institute any suit against the Board or against any officer or servant of the Board or any person acting under the orders of the Board, for anything done or purporting to have been done in pursuance of this Act, without giving to the Board, officer or servant or person concerned two months' previous notice in writing of the intended suit and of the cause thereof, nor after six months from the date of the act complained of.

68. Triennial valuation of assets and liabilities of Board.—The Board shall triennially have a valuation of its assets and liabilities made by a valuer appointed with the approval of the Administrator:

Provided that it shall be open to the Administrator to direct a valuation to be made at any time it may consider necessary.

69. Members, officers and servants of Board to be Public servants.—All members, officers and servants of the Board shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

70. Indemnity.—No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or purported to be done under this Act.

71. Power of Administrator to give direction to Board.—The Administrator may give the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, after giving an opportunity to the Board to state its objections, if any, to such directions and after considering the said objections and it shall be the duty of the Board to comply with such directions.

72. Default in performance of duty.—(1) If the Administrator is satisfied that the Board has made default in performing any duty imposed on it by or under this Act, he may fix a period for the performance of that duty.

(2) If in the opinion of the Administrator the Board fails or neglects to perform such duties within the period so fixed for its performance, it shall be lawful for the Administrator, notwithstanding anything contained in section 7, to supersede and reconstitute the Board in the prescribed manner.

(3) After the supersession of the Board and until it is reconstituted, the powers, the duties and functions of the Board under this Act shall be carried on by the Administrator or by such officer or officers as the Administrator may appoint in this behalf.

73. Power to make rules.—(1) The Administrator may, by notification and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made for all or any of the following purposes, namely—

- (a) the salary, allowances and conditions of service of members under section 7;
- (b) the manner and form in which contracts shall be entered into under section 18;
- (c) the form of annual housing programme, budget and schedule of staff of officers and servants, particulars of housing schemes and other particulars to be contained in the programme under section 23;

- (d) the form of notice under section 41;
- (e) the rate of interest under section 42;
- (f) the forms of notice under sections 51 and 52 and any other manner in which they may be served;
- (g) the procedure to be followed in taking possession of any Board premises under section 51;
- (h) the manner in which damages under section 52 may be assessed;
- (i) the manner in which appeals may be preferred under section 54 and the procedure to be followed in such appeals;
- (j) the conditions subject to which the Board may borrow any sum under section 60;
- (k) the manner of preparation, maintenance and publication of accounts under section 61;
- (l) the date before which, the form in which, the interval at which and the matter on which reports shall be submitted under section 64;
- (m) the time at which and the form and manner in which statistics, returns, particulars and statement shall be submitted under section 65;
- (n) the manner in which the Board shall be superseded and reconstituted under section 72;
- (o) specifying the bye-laws contravention of any of which shall be an offence; and
- (p) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.

(3) [Omitted].

74. **Regulations.**—The Board may, from time to time with the previous sanction of the Administrator by notification, make regulations consistent with this Act and with any rules made thereunder,—

- (a) for the management and use of buildings constructed under any housing scheme;
- (b) the principles to be followed in allotment of tenement and premises; and
- (c) for regulating its procedure and the disposal of its business.

75. **Power to make bye-laws.**—(1) The Board may make bye-laws, not inconsistent with this Act and the rules and regulations made thereunder, which may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its duties and functions under this Act.

(2) No bye-law made by the Board shall come into force until it has been confirmed by the Administrator with or without modification.

(3) All bye-laws made under this section shall be published in the Chandigarh Gazette.

76. **Penalty for contravention of bye-laws.**—Whosoever contravenes a bye-law made under section 75 the contravention of which is prescribed as an offence shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

77. **Penalty for obstructing etc.**—If any person—

- (a) obstructs any person with whom the Board has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act; or
- (b) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorised under this Act;

he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

78. **Authority for prosecution.**—Unless otherwise provided, no court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on the complaint of, or upon information received from, the Board or some person authorised by the Board by general or special order in this behalf.

79. **Registration of documents executed on behalf of Board.**—(1) Notwithstanding anything contained in the Indian Registration Act, 1908 (Central Act XVI of 1908), *

shall not be necessary for the Chairman to appear in person or by agent at any registration office in any proceeding connected with registration of any instrument executed by him in his official capacity on behalf of the Board or to sign as provided in section 58 of that Act.

(1) Where any instrument is so executed, the registration officer to whom such instrument is presented for registration may, if he thinks fit, refer to the Chairman for information respecting the same, and on being satisfied of the execution thereof, shall register the instrument.

80. **Dissolution of Board.**—(1) The Administrator may by notification declare that with effect from such date as may be specified in the notification, the Board shall be dissolved.

(2) With effect from the date specified in the notification under sub-section (1),—

(a) all properties, funds and dues which are vested in and realisable by the Board shall vest in and be realisable by the Central Government;

(b) all liabilities enforceable against the Board shall be enforceable against the Central Government to the extent of the properties, fund and dues vested in and realised by the Central Government.

(3) Nothing in this section shall affect the liability of the Central Government in respect of loans or debentures guaranteed under sub-section (5) of section 60.

81. **Removal of difficulties.**—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, in consequence of the transition to the said provisions from the provisions of the Acts in force immediately before the commencement of this Act, the Administrator may by notification make such provisions as appear to him to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act otherwise than in relation to the transition from the provisions of the Acts in force before the commencement of this Act, the Administrator may by notification make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to him to be necessary or expedient for removing the difficulty.

[No. U-11015/5/74-UTL(128)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 7(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का हरियाणा अधिनियम, 20) को जो इस अधिसूचना की तारीख पर हरियाणा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरो के अध्याधीन रहते हुए, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में एतद्वारा विस्तार करती है; अर्थात्:—

उपान्तर

1. सम्पूर्ण अधिनियम में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, "आवासन बोर्ड, हरियाणा" शब्दों के स्थान पर, "आवासन बोर्ड, चंडीगढ़" शब्द, "राजपत्र" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ राजपत्र" शब्द और "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे और किसी वाक्य में जिसमें कि "राज्य सरकार" शब्द आता है, ऐसे परिणामिक परिवर्तन किये जाएंगे जो व्याकरण के नियमों से अपेक्षित हो।

2. धारा 1 में उपधारा (2) में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ का संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

36

3. धारा 2 में,—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(कक) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) खंड (ल) में, “पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब अधिनियम 3) के अधीन गठित नगरपालिका” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मुख्य प्रशासक या पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 27) की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका कोई” कृत्यकारो रखा जाएगा ।

4. धारा 3 में,—

(क) उपधारा (4) में, “वारह” शब्दों के स्थान पर “सात” शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उपधारा (6) में,—

(i) “राज्य सरकार का अधिकारी” शब्दों के स्थान पर “चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) “और ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि से अनधिक के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

5. धारा 15 में, खण्ड (घ) में, “दो तिहाई” शब्दों के स्थान पर “आधा” शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 56 में, उपधारा (2) में, “या राज्य सरकार” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

7. धारा 60 में,—

(क) उपधारा (4), “और एक अन्य सदस्य” शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

(ख) उपधारा (5) में, “राज्य सरकार” शब्दों के, जहां कहीं भी आते हैं, स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 73 में उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 80 में,—

(क) उपधारा (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ; या

(ख) उपधारा (2) और (3) में, “राज्य सरकार” शब्दों के, जहां-कहीं भी आते हैं, स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ।

उपबन्ध

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का हरियाणा अधिनियम 20) जिसका चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है

आवास सुविधा की आवश्यकता से व्यवहार करने और उसे पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों को उपबन्ध करने के लिए अधिनियम भारत के 22वें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 है।

(2) इसका विस्तार चंडीगढ़ के सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “लगे हुए क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 21 के अधीन लगे हुए क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(कक) “प्रशासक” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।

(ख) बोर्ड से धारा 3 के अधीन स्थापित और गठित आवासन बोर्ड चंडीगढ़ अभिप्रेत है ;

(ग) “बोर्ड परिसर” से बोर्ड के स्वामित्व की या उसमें निहित या बोर्ड द्वारा पट्टे पर लिया गया या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रबन्ध और प्रयोग के लिए इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को सौंपा गया कोई परिसर अभिप्रेत है ;

(घ) “निर्माण सामग्री” से ऐसी वाणिज्य या वस्तुएं अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासक द्वारा अधिसूचना से निर्माण सामग्री विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) “अनुविधि” से धारा 75 के अधीन बनाई अनुविधि अभिप्रेत है ;

(च) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) “सक्षम प्राधिकारी” से अध्याय 6 के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्रशासक द्वारा अधिसूचना से प्राधिकृत किया गया ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ज) “आवासन स्कीम” से इस अधिनियम के अधीन बनाई आवासन स्कीम अभिप्रेत है ;

(झ) “भूमि” के अंतर्गत भूमि से प्रोद्भूत फायदों और भूमि से या भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं भी हैं ;

(ञ) “स्थानीय प्राधिकारी” से नगर पालिका की शक्ति का प्रयोग करने वाला मुख्य प्रशासक या पंजाब की राजधानी (विकास और विनियम) अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन उसका कोई कृत्यकारी, या पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 4) के अधीन गठित ग्राम पंचायत या पंजाब पंचायत समिति और जिला

परिषद् अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 3) के अधीन गठित पंचायत समिति या जिला परिषद्, या पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (1922 का पंजाब अधिनियम 4) के अधीन गठित सुधार न्यास अभिप्रेत है ;

- (ट) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;
- (ठ) "परिसर" से कोई भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्न भी है:—
- (i) ऐसे भवन या भवन के भाग से अनुलग्न वगीचा, भूमि और उपगृह, यदि कोई हो ; और
- (ii) ऐसे भवन या भवन के भाग से उसके अधिक फायदेप्रद उपयोग के लिये अधिस्थित कोई फिटिंग ;
- (ड) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ढ) "प्रोग्राम" से धारा 23 के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया वापिक आवासन प्रोग्राम अभिप्रेत है ;
- (ण) "विनियम" से धारा 74 के अधीन बनाया विनियम अभिप्रेत है ;
- (त) "किराया" से बोर्ड के परिसर के अधिभोग के बारे में बोर्ड को संदत्त कोई रकम अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत परिसर में प्रयोग या उपभोग किये गये जल और विद्युत के बारे में संदेय जल और विद्युत प्रभार भी हैं ;
- (थ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;
- (द) "अधिकरण" से धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट "अधिकरण" अभिप्रेत है ;
- (ध) "वर्ष" से अप्रैल के प्रथम दिन के प्रारम्भ होने वाला और मार्च के 31वें दिन समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

बोर्ड का स्थापन

3. (1) ऐसी तारीख से जो प्रशासक इस निमित्त एतद्द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए "आवासन बोर्ड चंडीगढ़" के नाम से ज्ञात बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो प्रशासक विनिर्दिष्ट करे ।
- (2) बोर्ड, यथोक्त नाम द्वारा, एक नियमित निकाय होगा जिसका शाब्द उत्तराधिकार और एक ही मुद्रा होगी, और इस अधिनियम या उसके तदधीन बनाए नियमों के अधीन या उनके द्वारा किसी निर्वन्धन के अधीन रहते हुए, उसको स्थावर और जंगम सम्पत्ति के अर्जित करने, धारण करने, प्रशासन करने और अन्तरण करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसी बातें की जा सकेंगी जो उसके लिए आवश्यक है जिसके लिए इसका गठन हुआ है ।
- (3) इस अधिनियम और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 प्रयोजनार्थ, बोर्ड एक स्थानीय प्राधिकारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—उपधारा (3) में निर्दिष्ट इस नियम के प्रयोजनों के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के अधीन या उनके लिए बोर्ड के स्वामित्व की और उसमें निहित भूमि और भवन के प्रबन्ध और प्रयोग भी हैं और इस नियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे भूमि और भवनों के बारे में और उन पर उसके द्वारा कार्रवाई का प्रयोग भी है।

(4) बोर्ड प्रशासक द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सात अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(5) अध्यक्ष या सदस्य किसी समय प्रशासक को त्यागपत्र देते हुये अपना पद त्याग सकेंगे।

परन्तु यह कि त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह स्वीकार नहीं किया जाता।

(6) जब तक बोर्ड को पूर्वगामी धाराओं के उपबन्धों के अनुसार स्थापन और गठन नहीं किया जाता, तब तक प्रशासक एक व्यक्ति से बने हुए बोर्ड का गठन कर सकेगा जो प्रशासक द्वारा नियुक्त चंडोगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी होगा और इस प्रकार गठित बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से, इस अधिनियम के सभी उपबन्धों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ स्थापित और गठित बोर्ड समझा जाएगा।

4. पूर्वी पंजाब अधिनियम, 1949 का 3 का लागू नहीं होना.—पूर्वी पंजाब नगर किराया निर्बंधन अधिनियम, 1949, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या उसके अधीन बोर्ड के स्वामित्व के या उसमें निहित किसी भूमि या भवन पर और बोर्ड के विरुद्ध, ऐसे भूमि या भवन के बारे में बोर्ड द्वारा निर्मित किन्हीं अभिवृत्तियों या अन्य वैसे ही संबंधों पर लागू नहीं होगा और न कभी लागू हुआ समझा जाएगा, किन्तु बोर्ड को किराये पर दो गयी किसी भूमि या भवन को लागू होगा।

5. अध्यक्ष की अनुपस्थिति की छुट्टी.—प्रशासक समय-समय पर अध्यक्ष को ऐसी छुट्टी अनुदत्त कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो और कोई व्यक्ति जिसको प्रशासक ऐसी छुट्टी पर अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष का कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, इस प्रकार कार्य करते हुए, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए, 'अध्यक्ष' समझा जाएगा।

6. निरर्हताएं.—(i) कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए या बने रहने के लिए निरहित होगा यदि वह,—

(क) बोर्ड के अधीन कोई पद या लाभ का स्थान धारण करता है ;

(ख) विकृत वित्त का है ;

(ग) अनुमोचित दिवालिया है ;

(घ) बोर्ड के द्वारा या उसको और से किए गए किसी संविदा या नियोजन में उसका स्वयं का या किसी भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई अंश या हित है ;

(ङ) किसी निगमित कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य नैतिक अधिकारी है जिसका बोर्ड के द्वारा या उसको और से किए गए किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है ; या

(च) ऐसे किसी अपराध का सिद्धदोष है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्बलित है।

(2) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निरर्हित, या उक्त खण्ड के अर्थों के अधीन किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखते हुए केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा, कि उसका या निगमित कम्पनी का जिसका कि वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक

255

या अन्य वैतनिक अधिकारी है, किसी ऐसे समाचार पत्र में अंश या हित है जिसमें कि बोर्ड के मामलों से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाह या किसी नियमित कम्पनी में जिसका कि बोर्ड के द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है, कोई अंश या हित रखता हुआ केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी कम्पनी का अंशधारी है;

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा धारित अंशों का स्वरूप और सीमा प्रशासक को प्रकट करना होगा।

7. पद के निवन्धन और सेवा की शर्तें.—(1) प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परन्तु यह कि अपनी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य ऐसा वेतन और भत्ता प्राप्त करेगा जो विहित किया जाए।

(3) सदस्यों को वेतन और भत्ते बोर्ड की निधि से संवत् किए जाएंगे और ऐसे वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

8. रिक्तियों का भरा जाना.—(1) यदि अध्यक्ष या सदस्य के पद में, मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने, निरहंता या अन्यथा कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति प्रशासक द्वारा उस पद में एक नये अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(2) रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अध्यक्ष या कोई सदस्य, धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपने पूर्वाधिकारी की अवधि के अनवसित भाग के लिए पद धारण करेगा।

9. कार्यवाही के अच्छे और विधिमान्य होने की उपधारणा किया जाना.—अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की निरहंता या नियुक्ति में सदोष बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही की दूषित करते हुए नहीं समझे जाएंगे यदि ऐसा कार्य या कार्यवाही अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार है।

10. सदस्यों की अस्थायी अनुपस्थिति.—यदि अध्यक्ष से अन्यथा बोर्ड का कोई सदस्य दुर्बलता से या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अस्थायी रूप से असमर्थ हो गया है या छुट्टी पर या किसी अन्य आधार पर जो कि उसकी सदस्यता की समाप्ति के परिणामस्वरूप नहीं है, अनुपस्थित है, तो प्रशासक उसके लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा।

11. बोर्ड के अधिकारी और सेवक.—(1) प्रशासक बोर्ड के सचिव की सेवा के ऐसे निवन्धन और शर्तों पर नियुक्ति कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य पदों का सृजन और उनमें ऐसे अन्य अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह उनके कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण उन्मोचन के लिए आवश्यक समझे;

परन्तु यह कि प्रशासक की पूर्व मंजूरी निम्न के लिए आवश्यक होगी,—

- (क) किसी पद के सृजन के लिए यदि या तो पद का न्यूनतम वेतनमान आठ सौ पच्चास पचास से अधिक है या उसका अधिकतम वेतनमान बारह सौ पचास पचास प्रति मास से अधिक है; या
- (ख) ऐसे पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए जो प्रोन्नति से हो या अन्यथा, यदि उसका प्रारम्भिक वेतन आठसौ रुपए प्रति मास से अधिक है या पद का अधिकतम वेतनमान बारह सौ पचास रुपए प्रति मास से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा की शर्तों, बोर्ड के अधिकारी और सेवकों के कृत्य और कर्तव्य वे होंगे जो विनियम द्वारा अवधारित किए जाएं।

12. भविष्यनिधि.—(1) प्रशासक बोर्ड के अधिकारी और सेवकों के लिए अभिदायी भविष्यनिधि स्थापित करेगा और ऐसी भविष्यनिधि (इसमें इसके पश्चात निधि से कही गयी) भविष्यनिधि अधिनियम, 1925 की धारा 8 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकारी भविष्यनिधि समझी जाएगी।

(2) बोर्ड, अपने कर्मचारियों में से प्रत्येक के बारे में जो निधि में अभिदाता है, निधि में अभिदाय का ऐसा भाग ऐसी रीति से संदत्त करेगा जो प्रशासक समय समय पर अवधारित करे।

13. अधिकारी और सेवकों की साधारण निरहताएं.—कोई व्यक्ति जिसका स्वयं या उसके भागोदार या अधिकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी संविदा में या बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किए किसी नियोजन में, उसके अधिकारी या सेवक के रूप में अन्यथा, कोई अंश या हित है, बोर्ड का अधिकारी या सेवक नहीं होगा या रहेगा।

14. समितियों की नियुक्ति.—इस अधिनियम के अधीन बनाए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, समय समय पर और किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए ऐसे कर्तव्यों का अनुमोचन करने या ऐसे कृत्यों के पालन करने के प्रयोजनार्थ जो यह उनको प्रत्यायोजित करने, एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा और ऐसी कोई समिति परिस्थितियों और स्थानीय क्षेत्र की अपेक्षाओं को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्तव्यों का उन्मोचन या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी।

15. बोर्ड के अधिवेशन.—बोर्ड अधिवेशन बुलाएगा और निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, दिन, समय, स्थान, नोटिस, प्रबन्ध और अपने अधिवेशनों के स्थगन के बारे में समय-समय पर ऐसी अनुविधि बना सकेगा जो यह ठीक समझे, अर्थात् :—

- (क) साधारण अधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगा;
- (ख) अध्यक्ष, जब कभी भी ठीक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा;
- (ग) प्रत्येक अधिवेशन में सभापति अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में अधिवेशन में उसी अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य होगा;
- (घ) प्रत्येक अधिवेशन का कौरम तत्समय वास्तविक रूप से सेवा कर रहे सदस्यों की संख्या का आधा होगा;

287

(ड) सभा में उपस्थित और मत देने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से सभी प्रश्न विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त, द्वि-या निर्णायक मत होगा; और

(च) प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त उस प्रयोजनार्थ उपबन्धित पुस्तक में अभिलिखित किए जायेंगे और ऐसे कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि प्रशासक को भेजी जाएगी।

16. बोर्ड के साथ व्यक्तियों का संगम—(1) बोर्ड अपने साथ उस व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने के लिए ठीक समझे, सहयुक्त कर सकेगा।

(2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत बोर्ड के अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) प्रशासक आदेश द्वारा ऐसी मदों और विषयों पर जो प्रशासक विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड के किसी अधिवेशन में हाजिर होने के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त कर सकेगा, किन्तु ऐसे प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

17. संविदा करने की शक्ति—बोर्ड ऐसे सभी संविदाओं को जो यह इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी को पूरा करने के लिए आवश्यक और समीचीन विचार करे, कर सकेगा और पालन कर सकेगा या उसके पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा।

18. संविदाओं का निष्पादन—(1) प्रत्येक संविदा बोर्ड के नाम में किया जाएगा और बोर्ड के लिए और उसकी ओर से उस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे;

परन्तु यह कि कोई संविदा जिसमें पांच लाख रुपए या अधिक का व्यय अन्तर्बलित हो, प्रशासक के पूर्वानुमोदन के बिना तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रशासक बोर्ड को पांच लाख रुपए से अधिक रुपए के व्यय को अन्तर्बलित करने वाले संविदा को करने की अनुज्ञा लिखित में नहीं देता।

(2) उपधारा (1), संविदा या प्राक्कलन के प्रत्येक फेरफार या परित्याग को और साथ ही मूल संविदा या प्राक्कलन को भी लागू होगा।

(3) बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक संविदा, इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति और प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए।

(4) इस धारा या तद्धीन बनाए नियमों में उपबन्धित रूप में नहीं किया गया या निष्पादित नहीं किया गया संविदा बोर्ड पर आवद्धकर नहीं होगा।

19. संविदा मंजूर करने की बोर्ड की शक्ति का प्रत्यायोजन—उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो प्रशासक इस निमित बनाए, बोर्ड आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि धारा 18 के अधीन संविदा मंजूर करने के लिए उसको प्रदत्त शक्ति अध्यक्ष या आदेश में उसके द्वारा प्राधिकृत किए किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जाएगी।

अध्याय 3

आवासन स्कीम

20. आवासन स्कीमों का भार अपने ऊपर लेने का बोर्ड का कर्त्तव्य.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए, और प्रशासक के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड किसी क्षेत्र में ऐसी आवासन स्कीमों को बनाने और निष्पादन करने के लिए जो यह समय समय पर आवश्यक विचार करे या जो प्रशासक द्वारा उसको सौंपी जाए, व्यय उपगत कर सकेगा और संकर्मों का अपने ऊपर भार ले सकेगा।

21. आवासन स्कीमों द्वारा उपबन्धित किए जाने वाले मामले.—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवासन स्कीम में निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) स्कीम के निष्पादन से प्रभावित या उसके लिए आवश्यक किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय द्वारा या अन्यथा अर्जन ;
- (ख) किसी भूमि का क्रय, विनिमय द्वारा या अन्यथा अर्जन, उसका टुकड़ों में विभाजन और उसको विकसित करने या अन्यथा के पश्चात् उसका सहकारी समितियों या अन्य व्यक्तियों को स्कीम के अनुसार विक्रय ;
- (ग) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि का अभिव्यास या पूर्ण अभिव्यास ;
- (घ) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुर्नवितरण ;
- (ङ) मानव निवास के लिए अयोग्य निवासगृह या विकास ग्रहों के भागों का बन्द करना या तोड़ डालना ;
- (च) बाधा डालने वाले भवन या भवनों के भागों को तोड़ डालना ;
- (छ) भवनों का सन्निर्माण और पुर्ननिर्माण, उनका रखरखाव और परिरक्षण ;
- (ज) स्कीम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय किराए पर देना या विनिमय ;
- (झ) सड़क और पीछे की गलियों का सन्निर्माण और उनमें परिवर्तन ;
- (ञ) स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र में जल निकास, जल प्रदाय और विद्युत् प्रदाय ;
- (ट) स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र के फायदे के लिए पार्क, क्रीड़ा क्षेत्र और खुले स्थान और विद्यमान पार्कों, क्रीड़ा क्षेत्रों और खुले स्थानों और उपगमन पथों का विवर्धन ;
- (ठ) स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत संरक्षण और हानि का निवारण या नदियों या अन्य स्त्रोतों या जल प्रदाय के साधनों का संदूषण भी है ;
- (ड) किसी वर्ग के निवासियों, उद्योगों, संस्थानों, कार्यालयों, स्थानीय प्राधिकारियों, सहकारी या निगमित निकायों के लिए स्थान ;
- (ढ) स्कीम के प्रयोजनार्थ धन का एडवान्स ;
- (ण) संसूचना और परिवहन के लिए सुविधाएं ;
- (त) ऐसी सूचना और सांख्यिकों का संग्रहण जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो ; और

287

(थ) कोई अन्य मामला जिसके लिए, प्रशासक को राय में, आवासन स्थान की व्याख्या करने या स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र या उक्त लगे हुए क्षेत्र का सुधार या विकास करने या स्कीम को साधारण दक्षता की दृष्टि से उपबन्ध करना समीचीन है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनार्थ, प्रशासक बोर्ड की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा आवासन स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र से परिवर्ती या लगे हुए क्षेत्र को लगा हुआ क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

2. सुधार स्कीमों में सम्मिलित क्षेत्र के लिए नगर परियोजना स्कीम से असंगत किसी आवासन स्कीम का नहीं बनाया जाना—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई आवासन स्कीम उस क्षेत्र के लिए नहीं बनाई जाएगी जिसके लिए पंजाब नगर सुधार अधिनियम 1922 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रशासक द्वारा सुधार स्कीम मंजूर की गई है, न इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी आवासन स्कीम में ऐसी कोई चीज अन्तर्विष्ट होगी जो पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 या तत्समय प्रवृत्त अन्य अधिनियमिति के अधीन प्रशासक द्वारा मंजूर नगर योजना स्कीम में सम्मिलित किसी मामले से असंगत है।

(2) यदि कोई विवाद उठता है कि क्या इस अधिनियम के अधीन बनाई आवासन स्कीम में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन मंजूर की गई सुधार स्कीम में सम्मिलित कोई क्षेत्र है या पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन मंजूर की गई नगर उप योजना स्कीम में सम्मिलित किसी मामले से उसमें अन्तर्विष्ट कोई चीज असंगत है तो वह प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका अभिनिश्चय अन्तिम होगा।

23. वार्षिक आवासन प्रोग्राम, बजट और स्थापन अनुसूची का तैयार करना और भेजा जाना—(1) प्रत्येक वर्ष में दिसम्बर के प्रथम दिन से पूर्व बोर्ड ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए निम्न तैयार करेगा और प्रशासक को भेजेगा,—

- (i) प्रोग्राम ;
- (ii) अगले वर्ष के लिए बजट ; और
- (iii) पहले से नियोजित या अगले वर्ष के दौरान नियोजित किए जाने वाले अधिकारियों और सेवकों के स्टाफ की अनुसूची ;

(2) प्रोग्राम में निम्न अन्तर्विष्ट होगा,—

- (i) आवासन स्कीम की ऐसी विशिष्टियां जिन्हें बोर्ड अगले वर्ष के दौरान अंशतः या सम्पूर्णतः जसा विहित किया जाए बोर्ड निष्पादन करने का प्रस्ताव करता है ;
- (ii) किसी उपक्रम की विशिष्टियां जिन्हें भवन सामग्री के उत्पादन के प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के दौरान बोर्ड संगठित या निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(3) बजट में अगले वर्ष के लिए पूंजी और राजस्व खाते पर प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय दर्शित करने वाला विवरण अन्तर्विष्ट होगा।

24. प्रोग्राम बजट और स्थापन अनुसूची को मंजूरी—प्रशासक उसको भेजे हुए प्रोग्राम, बजट और अधिकारियों और सेवकों के स्टाफ की अनुसूची को ऐसे उपान्तरण सहित जिसे वह ठीक समझे मंजूर कर सकेगा।

25. मन्जूर किए गए प्रोग्राम का प्रकाशन.—प्रशासक द्वारा 24 के अधीन उसके द्वारा मन्जूर किए गए प्रोग्राम को चंडीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

26. अनपूरक प्रोग्राम और बजट.—बोर्ड, उस वर्ष के दौरान किसी समय जिसके बारे में धारा 24 के अधीन प्रोग्राम मन्जूर किया गया है, प्रशासक को अनपूरक प्रोग्राम और बजट और स्टाफ की अतिरिक्त अनुसूची, यदि कोई हो, भेज सकेगा और धारा 24 और 25 के उपबन्ध ऐसे अनपूरक प्रोग्राम को लागू होंगे ।

27. प्रोग्राम में बोर्ड द्वारा उसे मन्जूर किए जाने के पश्चात् फेरफार.—बोर्ड किसी समय प्रशासक द्वारा मन्जूर किया गया प्रोग्राम या उसका कोई भाग या उसको किसी भाग में फेरफार कर सकेगा ;

परन्तु यह कि ऐसा कोई फेरफार नहीं किया जाएगा यदि उसमें ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित किसी आवासन स्कीम के उत्पादन के लिए मूलतः मन्जूर की गई रकम के दस प्रतिशत से अधिक व्यय अन्त-बलित है या उससे उसका विस्तार और प्रयोजन प्रभावित होता है ।

28. मन्जूर की गई आवासन स्कीम का उत्पादन किया जाना.—धारा 24 और 25 के अधीन प्रशासक द्वारा प्रोग्राम को मन्जूर और प्रकाशित किए जाने के पश्चात् बोर्ड, धारा 27 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रोग्राम में सम्मिलित आवासन स्कीम को निष्पादित करने के लिए अग्रसर होगा ।

29. आवासन स्कीम का चंडीगढ़ राजपत्र में प्रकाशन.—(1) धारा 28 के अधीन किसी आवासन स्कीम को निष्पादित करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, स्कीम को प्रकाशित करेगा । अधिसूचना में विनिर्दिष्ट होगा कि उस क्षेत्र को जो सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित है, दर्शित करने वाला रेखांक (प्लान) बोर्ड के कार्यालय में सभी युद्धियुद्धत समयों पर जनता के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

(2) यदि आवासन स्कीम के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कोई व्यक्ति बोर्ड को स्कीम से सम्बन्धित कोई सुझाव या आक्षेप बोर्ड को लिखित में सूचित करता है, तो बोर्ड ऐसे सुझाव और आक्षेप पर विचार करेगा और स्कीम को ऐसे उपान्तरित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

(3) बोर्ड तब अधिसूचना द्वारा अन्तिम स्कीम का प्रकाशन करेगा । अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि अन्तिम स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र और परिवर्ती भूमि दर्शित करने वाला रेखांक और अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, बोर्ड के कार्यालय में सभी युद्धियुद्धत समयों पर जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन इस बात का निश्चयक साक्ष्य होगा कि उक्त स्कीम सम्यक रूप से विरचित गई है ।

30. स्थानीय प्राधिकारों में निहित भूमि का आवासन स्कीम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को अन्तरण.—(1) जब कभी स्थानीय प्राधिकारी में निहित और स्थानीय प्राधिकारी के किसी क्षेत्र में स्थित कोई मार्ग, स्केअर और अन्य भूमि या उसका कोई भाग प्रशासक द्वारा मन्जूर की गई किसी आवासन स्कीम के प्रयोजनार्थ अप्रक्षित है, तो बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को तदनुसार नोटिस देगा ।

(2) जब स्थानीय प्राधिकारी सहमत है तो ऐसा मार्ग, स्केअर और अन्य भूमि या उसका भाग बोर्ड में निहित होगा ।

(3) जहां किसी मामले में कोई विवाद है तो वह प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा ; प्रशासक, पक्षकारों को सुनाने के पश्चात् मामले को विनिश्चित करेगा । प्रशासक का विनिश्चय अन्तिम

होगा। यदि प्रशासक विनिश्चय करता है कि ऐसा मार्ग, स्केअर या भूमि बोर्ड में निहित हो, तो यह तदनुसार निहित होगा।

(4) इस धारा में की कोई बात ऐसे मार्ग या स्केअर या भूमि में किसी जल निकास या संकर्म या उसके ऊपर स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार या शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

31. बोर्ड में निहित भूमि के बारे में प्रतिकर.—(1) जहां धारा 30 के उपबन्धों के अधीन बोर्ड में कोई भूमि निहित होती है और बोर्ड यह घोषणा करता है कि ऐसी भूमि बोर्ड द्वारा केवल तब तक रखी जाएगी जब तक कि वह धारा 34 के अधीन मार्ग के भाग या खुले स्थल के रूप में स्थानीय प्राधिकारी में पुनर्निहित नहीं होती तो उस भूमि के बारे में स्थानीय प्राधिकारी की बोर्ड द्वारा कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(2) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन बोर्ड में निहित होती है और भूमि के बारे में उपधारा (1) के अधीन घोषणा नहीं की जाती तो बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी भूमि के मूल्य के बराबर राशि संदत्त करेगा।

(3) यदि किसी दशा में जहां बोर्ड ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के बारे में घोषणा कर दी है और बोर्ड घोषणा की शर्तों के विपरीत भूमि को रखता है या निपटारा करता है जिससे भूमि स्थानीय प्राधिकारी में पुनर्निहित नहीं होती तो बोर्ड ऐसे भूमि के बारे में स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर संदत्त कर सकेगा।

32. बोर्ड की उसमें निहित लोक मार्ग को मोड़ने और बन्द करने की शक्ति.—बोर्ड उसमें निहित किसी लोक मार्ग या उसके किसी भाग को मोड़ सकेगा, अर्थात् कर सकेगा, जनता के प्रयोग से बन्द कर सकेगा या स्थायी रूप से बन्द कर सकेगा।

(2) जब कभी बोर्ड उसमें निहित किसी लोक मार्ग या उसके किसी भाग का जनता द्वारा प्रयोग चालू नहीं रखता है या स्थायी रूप से बन्द करता है तो मार्ग या उसके भाग के बदले में प्रयोग के लिए हकदार व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किए जाने वाले किसी अन्य युक्तियुक्त साधन तक पहुंच को व्यवस्था करेगा और उस प्रत्येक व्यक्ति को जो केवल जनता के सदस्य के रूप से अथवा ऐसे मार्ग या उसके भाग को पहुंच के साधन के रूप में प्रयोग करने का हकदार है और जिसने ऐसे चालू रहने और बन्द होने से नुकसान सहन किया है, युक्तियुक्त प्रतिकर संदत्त करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय प्रतिकर के अन्वय में, बोर्ड किसी अन्य लोक मार्ग के सन्निर्माण, व्यवस्था या सुधार से उसी समय प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे का मोका देगा जब कि लोक मार्ग या उसका मार्ग जिसके कारण प्रतिकर संदेय है, चालू नहीं रहता है या बन्द किया जाता है।

(4) जब बोर्ड में निहित कोई लोक मार्ग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द किया जाता है तो बोर्ड उसको इतना बेचेगा या पट्टे पर देगा जितना कि आगे अवेक्षित नहीं है।

33. धारा 31 और 32 के अधीन विवाद को दस्त में अधिकरण को निर्देश.—यदि ऐसा कोई विवाद है कि क्या धारा 31 या धारा 32 के अधीन कोई प्रतिकर संदेय है या यथास्थिति धारा 31 या धारा 32 के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम क्या है, तो मामला अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

34. आवासन स्कीम के अधीन बोर्ड द्वारा अभिन्यसित या परिवर्तित मार्ग और व्यवस्थित खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकारी में निहित होना.—जब कभी प्रशासन का समाधान हो जाता है,—

- (क) कि बोर्ड द्वारा अभिन्यसित या परिवर्तित कोई मार्ग धारा 24 के अधीन प्रशासनक द्वारा मंजूर किए गए प्रोग्राम में उस व्यवस्थित रीति में सम्यक् रूप से समतल, आचित, धातुलेपित, पाटियादार (फ्लैट), नालीदार, सीवरवाला और अनबाही (ड्रेन्ड) कर दिया गया है या उसमें धारा 27 के अधीन फेरफार या धारा 29 के अधीन उपान्तरण कर दिया गया है ;
- (ख) कि ऐसे लैम्प या लैम्प स्तम्भ या अन्य उपकरणों को जो स्थानीय प्राधिकारी ऐसे मार्ग के प्रकाश के लिए आवश्यक समझता है या जिनकी बोर्ड द्वारा इस रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए थी इस प्रकार व्यवस्था कर दी गयी है ; और
- (ग) कि जल और अन्य सफाई की सुविधाओं को ऐसे मार्ग पर सम्यक् रूप से व्यवस्था कर दी गयी है ;

तो प्रशासक ऐसे मार्ग को लोक मार्ग घोषित कर सकेगा और तदुपरि मार्ग स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा और तब से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा, इसमें मरम्मत, प्रकाश और सफाई की जाएगी ।

(2) जब किसी आवासन स्कीम के निष्पादन में बोर्ड द्वारा किसी खुले स्थान की सवांतन या आमोद प्रमोद के प्रयोजनार्थ व्यवस्था की गयी है, तो यह पूर्ण होने पर बोर्ड के संकल्प द्वारा संबंधित प्राधिकारी को अन्तरित किया जाएगा, और तदुपरि स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा और उसके द्वारा अपने खर्च पर उसका रख रखाव होगा ।

(3) यदि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में निर्दिष्ट किसी मामले के बारे में बोर्ड और स्थानीय प्राधिकारी के बीच में कोई राय भेद उद्भूत होता है तो मामला प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

35. बोर्ड के अन्य कर्त्तव्य.—बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि भवनों के सन्निर्माण को शीघ्र करने और सस्ता बनाने की दृष्टि से उपाय करे और बोर्ड उस प्रयोजनार्थ निम्न सभी बातें कर सकेगा,—

(क) भवन सामग्री का एकीकरण, सरलीकरण और मानकीकरण ;

(ख) गृह संघटकों के पूर्व संविरचन और द्रव्यमान उत्पादन का प्रोत्साहन ;

(ग) आवासन स्कीम के लिए अपेक्षित भवन सामग्री के उत्पादन का संगठन या अपने ऊपर भार लेना ;

(घ) सस्ती भवन सामग्री के अन्वेषण के लिए अनुसन्धान को प्रोत्साहन और आर्थिक सन्निर्माण की नई पद्धतियों का विकास ;

(ड) भवनों के सन्निर्माण के कार्य में प्रशिक्षित कारीगरों का स्थायी और पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित करना ।

36. अध्यापित भूमियों का बोर्ड के द्वारा प्रबन्ध सम्भालना.—बोर्ड, यदि प्रशासक इस प्रकार निदेश देता है और प्रशासक के साधारण निबंधन के अधीन रहते हुए, प्रशासक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन अध्यापित भूमियों में से सभी या किसी का प्रबन्ध सम्भालेगा

37. भूखण्डों का पुनर्गठन.—आवासन स्कीम निम्न के लिए उपबन्ध कर सकेगी,—

(क) मूल भू-खण्ड की सीमाओं के परिवर्तन द्वारा पुनर्गठित भू-खण्ड बनाने के लिए ;

(ख) स्वामियों को सहमति से दो या अधिक मूल भूखण्ड जिसमें से प्रत्येक पृथक् रूप से स्वामित्व में या संयुक्त स्वामित्व में धारण किए जाते हैं सामान्य स्वामित्व में, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना पुनर्गठित भूखण्ड के रूप में धारण किए जाएं ;

(ग) आवासन स्कीम के अग्रसर करने में भूमि से वेदखल हुए किसी स्वामी को भूखण्ड के आवंटन के लिए, और

(घ) एक व्यक्ति से दूसरे को भूखण्ड के स्वामित्व के अन्तरण के लिए ।

38. प्रशासक द्वारा बोर्ड की स्कीमों का सौंपा जाना.—धारा 21 और 23 से 29 तक (दोनों सम्मिलित करते हुए) के उपबन्ध प्रशासक द्वारा बोर्ड को सौंपी हुई किसी आवासन स्कीम को सिवाय इस सीमा के और ऐसे उपांतरों के अध्याधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट किये जाएं, लागू नहीं होंगे और एसा प्रत्येक आदेश चंडीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

अध्याय 4

भूमियों का अर्जन और निपटारा

39. भूमि को क्रय करने, पट्टे पर देने और अर्जन करने की शक्ति.—(1) बोर्ड किसी व्यक्ति या प्रशासक से उससे किसी भूमि के जो आवासन स्कीम या ऐसी भूमि में किसी हित या किसी ऐसे अधिकार के बंचित किए जाने या उसमें हस्तक्षेप किए जाने के बारे में प्रतिभर देने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है, अर्जन के लिए क्रय करने, पट्टे पर देने या विनिमय करने के द्वारा करार कर सकेगा ;

परन्तु यह कि प्रशासक का पुर्वानुमोदन, उस क्रय या विनिमय जिसमें एक लाख रुए तक मूल्य की भूमि अन्तर्वलित है या पांच वर्ष से अधिक पट्टा देने की दशा में अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(2) बोर्ड, ऐसी तारीख से जो प्रशासक इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम द्वारा यथाउपान्तरित भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में उपबन्धि रीति से आवासन स्कीम के निष्पादन के लिए अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी हित के अनिवाय रूप से अर्जन के लिए कदम उठावना और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी भूमि या उसमें किसी हित का अर्जन अधिनियम 1894 के अर्थों में लोक प्रयोजन के लिए अर्जन समझा जाएगा।

40. सुधार प्रभाग.—(1) जब आवासन स्कीम के बनाने से स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भूमि का मूल्य, बोर्ड की राय में बढ़ जाएगा, तो बोर्ड स्कीम बनाने में यह घोषणा कर सकेगा कि भूमि के स्वामियों या स्कीम के निष्पादन से भूमि के मूल्य की वृद्धि के बारे में उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा सुधार प्रभाग संदेय होंगे।

(2) मूल्य में ऐसी वृद्धि वह रकम होगी जिससे स्कीम के निष्पादन के पूरी हान पर भूमि का प्राक्कलित मूल्य मानी भूमि भवनों से रहित हो, स्कीम के उत्पादन के पूर्व उसी रीति से भूमि के प्राक्कलित मूल्य से अधिक हो जाता है और सुधार प्रभाग मूल्य में ऐसी वृद्धि का आधा होगा।

(3) ऐसे सुधार प्रभाग किसी भूमि के बारे में जो भी स्कीम में समाविष्ट नहीं हो किन्तु स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र से लगी हुई हो, उदग्रहीत होंगे।

(4) स्कीम के निष्पादन के समय कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भूमि के बारे में उपधारा (1) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के द्वारा सुधार प्रभाग ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, केवल ऐसी भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने या प्रयोग के लिए हस्तान्तरित करने के पश्चात् उदग्रहीत होंगे।

41. सुधार प्रभाग के लिए दायी व्यक्तियों को नोटिस.—(1) बोर्ड किसी व्यक्ति को जो उस भूमि का जिसके बारे में सुधार प्रभाग उदग्रहीत किए जाने हैं, स्वामी है या उसमें हित रखता है, विहित प्ररूप में नोटिस देगा और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की सुनवाई करने के पश्चात् या यदि ऐसा व्यक्ति उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके भीतर ऐसा व्यक्ति बोर्ड के समक्ष हाजिर होने के लिए अपेक्षित है, हाजिर नहीं होता है तो बोर्ड सुधार प्रभाग की रकम निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा।

(3) जहां बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सुधार प्रभाग का निर्धारण विहित अवधि के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है वहां निर्धारण अन्तिम होगा।

(4) यदि सम्बन्धित व्यक्ति बोर्ड द्वारा प्रस्तावित निर्धारण स्वीकार नहीं करता है तो मामला अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) अधिकरण जांच करने के पश्चात् और सम्बन्धित व्यक्ति की सुनवाई करने के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा संदेय सुधार प्रभागों की रकम निर्धारित करेगा।

42. सुधार प्रभागों के संदाय के लिए करार.—(1) किसी भूमि के बारे में सुधार प्रभाग को संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति अपनी राय पर उसे बोर्ड को संदत्त करने के बदले, बोर्ड से भूमि में अपने हित पर प्रभाग के रूप में बकाया रकम छोड़ने के लिए, हित का ऐसी दर पर जो विहित की जाए, शाश्वत रूप से संदाय करने के अर्धधीन रहते हुए, करार निष्पादित कर सकेगा।

275

(2) सुधार प्रभारों के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रत्येक रकम और उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रभार, किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् सृजित किसी बन्धक या प्रभार के निष्पादन के होते हुए भी, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा।

43. सुधार प्रभारों की वसूली.—धारा 40 के अधीन सुधार प्रभारों के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा या धारा 42 के अधीन करार के अधीन किसी भूमि के बारे में, संदेय सभी राजशियां बोर्ड की ओर से राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगी।

44. भूमि के निपटारे की शक्ति.—इस अधिनियम के अधीन प्रशासक द्वारा बनाए किये गये नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड, उसमें निहित और इस अधिनियम के अधीन मन्जूर की गई किसी आवासन स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित किसी भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति को रख सकेगा, पट्टे पर दे सकेगा, विक्रय कर सकेगा, विनिमय कर सकेगा या अन्यथा निपटारा कर सकेगा।

45. भूखण्डों के पुनर्गठन की बाबत विवाद.—(1) जहां आवासन स्कीम के बनाने से, स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र में समाविष्ट कोई भूखण्ड पुनर्गठित किये जाते हैं या कोई व्यक्ति बेदखल किया जाता है तो बोर्ड, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, ऐसे पुनर्गठन या बेदखली से प्रभावित किसी व्यक्ति को ऐसा तिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त समझे। यदि वह व्यक्ति इस मामले में बोर्ड के विनिश्चय से असन्तुष्ट है तो वह बोर्ड को तदनुसार सूचित कर सकेगा। बोर्ड तदुपरि मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट करेगा।

(2) अधिकरण तब जांच करने के पश्चात् प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा या उसे सम्बन्धित व्यक्ति को संदत्त करने के लिए बोर्ड को निर्देश देगा।

अध्याय 5

अधिकरण

46. अधिकरण.—अधिकरण सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला जिला जज होगा।

47. अधिकरण के कर्तव्य.—अधिकरण,—

- (क) यह विनिश्चय करेगा कि क्या धारा 31 के अधीन कोई प्रतिकर संदेय है;
- (ख) धारा 33 के अधीन उसको निर्दिष्ट उस मामले में प्रतिकर का विनिश्चय करेगा;
- (ग) धारा 41 के अधीन उसको निर्दिष्ट सुधार प्रभारों से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय करेगा;
- (घ) धारा 45 के अधीन विवाद और अधिनिर्णीत की जाने वाली प्रतिकर की रकम का विनिश्चय करेगा; और
- (ङ) ऐसे अन्य मामले का जो इस निमित्त बनाए नियमों द्वारा विहित किया जाय, विनिश्चय करेगा।

48. अधिकरण की शक्ति और उसके सामने प्रक्रिया.—(1) जांच करने में, अधिकरण को जहां तक सम्भव हो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन शक्तियां होंगी और वह उनका प्रयोग ऐसा और उसी के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(2) रकम के मंदाय के लिए और कब्जे के परिदान या किसी निर्मित को हटाने के लिए अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश जिला न्यायालय द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त किया जाएगा मानो वह उसी न्यायालय की डिग्री हो।

(3) अधिकरण के सामने कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

49. अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना.—इस अधिनियम के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले पर अधिकरण का विनिश्चय, धारा 50 के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

50. उच्च न्यायालय को अपील.—अधिकरण के विनिश्चय से व्यथित बोर्ड या कोई व्यक्ति, विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय में जो उच्च न्यायालय पर्याप्त कारणों से अनुज्ञेय करे, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और उच्च न्यायालय अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

अध्याय 6

बोर्ड के परिसरों से व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति

51. बोर्ड के परिसरों से व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति.—(1) यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है,—

(क) कि बोर्ड के किन्हीं परिसरों का अधिभोग करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने,—

(i) ऐसे परिभर के बारे में उसके द्वारा विधिमान्य रूप से देय किराया दो मास की अवधि के लिए संदत्त नहीं किया है; या

(ii) बोर्ड की अनुज्ञा के बिना ऐसे परिसर के सम्पूर्ण या किसी भाग को शिकमी पट्टे पर दे दिया है; या

(iii) अभिव्यक्त या विवक्षित शर्तों में से, जिनके अधीन वह ऐसे परिसरों का अधिभोग करने को प्राधिकृत है, किसी का उल्लंघन करते हुए अन्यथा कार्य किया है; या

(ख) कि कोई व्यक्ति बोर्ड के किन्हीं परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो नोटिस द्वारा डाक द्वारा तामील किया जाए, या बाहर के दरवाजे पर या ऐसे परिसरों के सहजदृश्य किसी अन्य भाग पर जिसकी प्रतिलिपि लगाई जाए, या ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति भी, जो परिसरों के सम्पूर्ण या किसी भाग के अधिभोग में हो उनको नोटिस की तामील से एक मास के भीतर खाली करेगा ;

52/2

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने का अवसर न दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश की अनुपालना अस्वीकार करता है या नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को वेदखल कर सकेगा और परिसरों का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(3) यदि व्यक्ति जिसको उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (iii) के अधीन किन्हीं परिसरों को नोटिस की तामील को तीस दिन के भीतर या ऐसे लम्बे समय में जो सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञय करे, खाली करने का आदेश हुआ है बोर्ड को किराये की बकाया संदत्त करता है या सक्षम प्राधिकारी के समाधान तक उसके द्वारा उल्लंघन की गई शर्तों का यथास्थिति पालन करता है या अन्यथा अनुपालन करता है तो सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन ऐसे व्यक्ति को वेदखली करने के बदले उपधारा (1) के अधीन किए गए अपने आदेश को रद्द करेगा और तदुपरि ऐसा व्यक्ति उन्हीं शर्तों पर परिसरों को धारण करेगा जिन पर वह ऐसे नोटिस के ठीक पूर्व उस पर तामील किए जाने के पूर्व धारण करता था ।

52. किराया या नुकसान को भूमि राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति.—

(1) इस निमित्त प्रशासक द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और धारा 51 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी व्यक्ति पर बोर्ड के किन्हीं परिसरों के बारे में देय, किराया बकाया है तो सक्षम प्राधिकारी, नोटिस द्वारा जो डाक से तामील हो या जिसकी प्रतिलिपि बाहर के दरवाजे पर या ऐसे परिसरों के किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाई जाए, या ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, उस व्यक्ति को तीस दिन से ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए उसे संदत्त करने के लिए आदेश कर सकेगा । यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किराये की बकाया का संदाय अस्वीकार करता है या नहीं करता है, तो ऐसी बकाया भूमि राजस्व की बकाया की रकम के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति बोर्ड के किन्हीं परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोग में है तो सक्षम प्राधिकारी विहित रीति में परिसरों के प्रयोग और अधिभोग के कारण ऐसा नुकसान निर्धारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और नोटिस द्वारा जो डाक से तामील हो या जिसकी प्रतिलिपि बाहर के दरवाजे पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाई जाए या ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, उस व्यक्ति को तीस दिन से अतिरिक्त ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, नुकसान का संदाय करने का आदेश कर सकेगा । यदि कोई व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नुकसान का संदाय अस्वीकार करता है या संदाय नहीं करता है, तो नुकसान भूमि राजस्व की बकाया के रूप में उससे वसूल किए जाएंगे ।

53. कतिपय दशाओं में किराये का वेतन या मजदूरी से कटौती करके वसूल किया जाना.—

(1) धारा 51 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति, जो प्रशासक या स्थानीय प्राधिकारी का कर्मचारी है और जिसको बोर्ड के कोई परिसर आवंटित किए गए हैं, प्रशासक के हक में यह उपबन्ध करते हुए करार निष्पादित कर सकेगा कि यथास्थिति प्रशासक या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अधीन या जिसके द्वारा वह नियोजित है, उसको संदेय वेतन या मजदूरी से ऐसी रकम की कटौती करने के लिए जो करार में विनिर्दिष्ट की जाए, और इसी प्रकार कटौती की गई रकम

उत्तको आवंटित बोर्ड के परिमरों के बारे में उसके द्वारा देय किराये के समाधान के लिए संदत्त करने के लिए सवम होगा ।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर क्यास्थिति प्रशासक या स्थानीय प्राधिकारी, यदि बोर्ड द्वारा लिखित अध्यापेक्षा से इस प्रकार अपेक्षा की जाए, अध्यापेक्ष में विनिर्दिष्ट रकम करार के अनुसार अध्यापेक्षा में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी से काटती कर सकेगा और इस प्रकार कटौती की गई रकम बोर्ड को संदत्त कर सकेगा ।

54. अपील .—(1) धारा 51 या धारा 52 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति क्यास्थिति धारा 51 या धारा 52 के अधीन नोटिस की तामील की तारीख तीस दिन के भीतर, उम जिले के जिला जज को जितमें कि बोर्ड के परिसर स्थित हैं या उस जिले में ऐसे व्यक्ति अधिकारी को जिते प्रशासक इस निमित्त नियुक्त करे, अपील कर सकेगा ;

परन्तु यह कि अपील अधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय में अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था ।

(2) जहां उधारा (1) के अधीन अपील की जाती है, तो अपील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, रोक सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील का, अपील अधिकारी द्वारा उतनी शीघ्रता से, जितनी सम्भव हो निपटारा किया जाएगा ।

55. आदेशों की अन्तिमता और सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन .— (1) इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धन के सिवाय, इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी मूल आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के बारे में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जितका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतान किया जा सकता हो और निपटारा किया जा सकता हो ।

अध्याय 7

वित्त लेखा और संवरीक्षा

56. बोर्ड की निधि .—(1) बोर्ड के पास आवासन बोर्ड निधि के नाम से ज्ञात निधि होगी ।

(2) बोर्ड इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यक्ति या निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, से अनुदान, सहायता, संदान या दान स्वीकार कर सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के आधार पर बोर्ड की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी रकमों बोर्ड के द्वारा विक्रय की गई भूमि या अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति के सभी आयों, बोर्ड को प्रोद्भूत

909

होने वाले सभी किरायों और सभी हित, लाभ और अन्य रकमों से मिल कर आवासन बोर्ड निधि गठित होगी ।

(4) प्रशासक द्वारा अन्वया यथा निर्देशित के निवाय, पूर्वगामी उपबन्धों में विनादण्ड और बोर्ड की निधि का भाग बनाने वाली सभी रकमों और प्राणियों, स्टेट बैंक आफ इण्डिया या किसी अनुचित बैंक या सहकारी बैंक में जमा की जाएगी या ऐसी प्रतिगृहियों में विनिहित की जाएगी जो प्रशासक द्वारा अनुमोदित की जाए ।

(5) ऐंभ लेखों का ऐंभ अधिकारियों द्वारा प्रचालन किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

स्पष्टीकरण .—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अनुचित बैंक से रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक अभिप्रेत होगी ।

57. आवासन बोर्ड निधि का उपयोग .—आवासन बोर्ड निधि को समस्त सम्पत्ति और बोर्ड में निहित होने वाली अन्य सभी आस्तियां उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और उसके प्रयोजनों के लिए धारित की जाएगी और उसके द्वारा उपयोगित की जाएगी ।

58. अति आवश्यकता इत्यादि की दशा में व्यय .—(1) जहां बोर्ड की राय में अति आवश्यकता की परिस्थितियां उद्भूत हो गई हैं तो किसी वर्ष में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा ऐसी रकम का व्यय करना जो विहित की जाए, इस बात के होते हुए भी विधि पूर्ण होगा कि ऐसा व्यय वार्षिक प्रोग्राम या प्रशासक द्वारा मन्जूर किए गए अनुसूक्त प्रोग्राम या धारा 28 के अधीन बनाए प्रोग्राम के फेअर में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(2) जहां उपधारा (1) में यथा उपबन्धित अति आवश्यकता की परिस्थितियों के अधीन कोई राशि व्यय की गई है, वहां उस खोत को दर्शित करते हुए जिससे इस व्यय का किया जाना प्रस्तावित है उसको एक रिपोर्ट बोर्ड द्वारा यथामाध्य शीघ्र प्रशासक को की जाएगी ।

(3) बोर्ड, प्रशासक द्वारा मन्जूर किए गए बजट के भीतर, ऐसी रकम से अनधिक विनियोग जो एक शीर्ष से दूसरे में और एक छोटे शीर्ष से उसी बड़े शीर्ष के अधीन दूसरे में विहित किया जाए मन्जूर कर सकेगा, और ऐसे पुनर्विनियोग का विवरण प्रशासक को भेजेगा ।

59. बोर्ड को सहायता और उधार .—(1) प्रशासक समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो प्रशासक द्वारा अवधारित की जाए, सहायता दे सकेगा ।

(2) प्रशासक समय समय पर बोर्ड को इन अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाली ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो प्रशासक अवधारित करे, उधार एडवांस कर सकेगा ।

60. बोर्ड की उधार लेने की शक्ति .—(1) बोर्ड समय समय पर प्रशासक के पुर्वानुमोदन से और इन अधिनियम के उपबन्धों के और ऐसी शर्तों के जो इन निमित्त विहित की जाए, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगा ।

(2) इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासक द्वारा बनाए गए नियम बोर्ड को डिबेन्चर जारी करने और बैंकों से व्यवस्था करने द्वारा उधार लेने के लिए सशक्त कर सकेंगे ।

(3) बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी डिबेन्चर ऐसे प्रकाश में होंगे जो बोर्ड, प्रशासकी मन्जूरी से समय समय पर अवधारित करे।

(4) प्रत्येक डिबेन्चर पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) इस द्वारा के अधीन लिए गए उधार और जारी किए गए डिबेन्चर केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल रकम के पुनः संदाय और ऐसी व्याज की दर के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, संदाय के लिए गारंटी किए जा सकेंगे।

61. लेखा और संपरीक्षा.—(1) बोर्ड उचित लेखे और बहियां और ऐसी अन्य बहियां रखवाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों द्वारा अपेक्षित हों और ऐसे नियमों के अनुसार लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करवाएगा।

(2) बोर्ड अपने लेखों को वार्षिक रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका प्रशासक निर्देश दे, संपरीक्षा करवाएगा।

(3) ज्योंही बोर्ड के लेखों की संपरीक्षा हो जाती है, वैसे ही बोर्ड उसकी एक प्रतिलिपि उन पर संपरीक्षक को एक रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ प्रशासक को भेजेगा, और लेखों को विहित रीति में प्रकाशित करवाएगा और उसकी प्रतिलिपियां युक्तियुक्त कीमत पर विक्रय के लिए रखवाएगा।

(4) बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो प्रशासक रिपोर्ट के परिशीलन के पश्चात जारी करना ठीक समझे।

62. लेखा की समवर्ती और विशेष संपरीक्षा.—(1) धारा 61 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक आदेश कर सकेगा कि बोर्ड के लेखों की समवर्ती संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो वह ठीक समझे। प्रशासक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे विशेष अवधि में या विशेष संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग या आवली से सम्बन्धित बोर्ड के लेखों की विशेष संपरीक्षा किए जाने के भी निर्देश दे सकेगा।

(2) जहां उधारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, वहां बोर्ड ऐसे लेखों को संपरीक्षा के लिए पेश करेगा या पेश करवाएगा और उधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसी सूचना देगा जिसकी वह संपरीक्षा के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे।

63. आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण.—(1) प्रशासक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को भूदान, भूमि या जंगम या स्थावर अन्त सम्पत्ति, बोर्ड के प्रयोग और प्रबन्ध के लिए ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जो प्रशासक ठीक समझे, अन्तरित कर सकेगा।

(2) प्रशासक इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोर्ड को ऐसी स्कीमें या संकर्म जो प्रगति में हैं उनकी सभी आस्तियों और दायित्वों सहित जो प्रशासक द्वारा चलाए या प्रबन्ध किए जाते हैं, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें प्रशासक अधिरोपित करना ठीक समझे, अन्तरित कर सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

64. रिपोर्ट.—बोर्ड, ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसे प्रकाश में और ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, प्रशासक को ऐसे मामलों पर जो विहित किए जाएं, एक रिपोर्ट भेजेगा और प्रशासक ऐसी रिपोर्ट को चण्डागढ़ राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

65. विवरण और विवरणी.—बोर्ड प्रशासक को किसी प्रस्तावित या विद्यमान आवास्तन स्कीम की बाबत ऐसी मांछियकी, विवरणी विनिष्टियां या विवरण भी ऐसे समय पर और ऐसे रूप और रीति में भेजेना, जो विहित की जाए, या जो प्रशासक समय समय पर निदेश दे।

66. प्रवेश की शक्ति.—अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों और कर्मचारियों सहित या उनके बिना किसी भूमि में या उस पर निम्न के लिए प्रवेश कर सकेगा,—

- (क) किसी निरीक्षण, पर्यवेक्षण, नापतोल, मूल्यांकन या जांच के लिए ;
- (ख) तल मापन के लिए ;
- (ग) सतह की नीचे की मिट्टी खोदने या उसमें छिद्र करने के लिए ;
- (ब) सीमाएं या संकर्मों की आशयित दिशा नियत करने के लिए ;
- (ङ) ऐसे तल, सीमाएं और संकर्मों की दिशाएं बनाने या खाइयां काटने के लिए ; या
- (च) कोई अन्य बात करने के लिए जब कभी यह इस अधिनियम या तद्विन बनाए किन्हीं नियमों या मञ्जूर स्कीम के प्रयोजनार्थ करना आवश्यक हो ;

परन्तु यह कि —

- (i) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा ;
- (ii) निवास गृह या लोक भवन में जो कि निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता है, उसके अधिभोगी की सम्पत्ति के सिवाय और उक्त अधिभोगी को ऐसे प्रवेश करने के आशय का पूर्व उल्लिखित नोटिस कम से कम चौबीस घण्टे पहले दिए बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा ;
- (iii) स्त्रियों के अधिभोग में किसी कोष्ठ के संवासियों को परिसर के किसी ऐसे भाग में हटने के समर्थ बनाने के लिए जहां उनकी एकान्तता विछुब्द न हो, पर्याप्त नोटिस प्रत्येक दशा में उस समय भी दिया जाएगा जब किसी परिसर में बिना नोटिस के अन्यथा प्रवेश किया जाता है।
- (iv) प्रवेश किए गए परिसर के अधिभोगियों को सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक सम्मान रखा जाएगा जहां तक कि वह उस प्रयोजन की अभ्यावश्यकताओं से जिसके लिए कि प्रवेश किया गया है सुसंगत हो।

67. बोर्ड के विरुद्ध वाद का नोटिस.—कोई व्यक्ति बोर्ड के विरुद्ध या बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक या बोर्ड के आदेशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसरण में की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद बोर्ड, सम्बन्धित अधिकारी या सेवक या व्यक्ति को आशयित वाद और उसके हेतुक का लिखित में दो माह का पूर्व नोटिस दिए बिना और कार्य की जिसकी शिकायत की गई है तारीख से छह मास के बाद भी, कोई वाद संस्थित नहीं करेगा।

68. बोर्ड की आस्तियों और दायित्वों का त्रैवार्षिक मूल्यांकन.—बोर्ड, प्रशासक के अनुमोदन से नियुक्त मूल्यांकक द्वारा अपनी आस्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन त्रैवार्षिक रूप से करवाएगा ;

परन्तु यह कि प्रशासक के लिए किसी समय जब वह आवश्यक समझे मूल्यांकन का निदेश देना अर्जित होगा।

69. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और सेवकों का लोक सचक होता.—बोर्ड के सभी सदस्य अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक समझे जाएंगे।

70. परित्राय (इनडेभिन्टी).—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से की गई या करने के लिए तात्पर्यित है, वाद, अभियोग या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

71. प्रशासक की बोर्ड को निदेश देने की शक्ति.—प्रशासक, बोर्ड को अपने आक्षेप यदि कोई हो, बताने का बोर्ड को अवसर देने के पश्चात् और उक्त आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश दे सकेगा जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए आवश्यक और समीचीन हैं और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

72. कर्तव्य पालन करने में व्यतिक्रम.—(1) यदि प्रशासक का समाधान हो गया है कि बोर्ड ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है तो वह उस कर्तव्य का पालन करने के लिए अवधि नियत कर सकेगा।

(2) यदि प्रशासक की राय में, बोर्ड इस प्रकार उसके पालन करने के लिए नियत की गई अवधि के भीतर ऐसे कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या करने की उपेक्षा करता है तो धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक के लिए, विहित रीति में बोर्ड को अधिकांत या पुनर्गठित करना विधिपूर्ण होगा।

(3) बोर्ड के अधिकांत होने के पश्चात् और इसके पुनर्गठन न होने तक, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का, प्रशासक द्वारा या ऐसे अधिकारी या अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा जो प्रशासक इस निमित्त नियुक्त करे।

73. नियम बनाने की शक्ति.—(1) प्रशासक अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की साधारणता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित प्रयोजनों में से सभी या किसी के लिए बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) धारा 7 के अधीन सदस्यों के वेतन, भत्ता और सेवा की शर्तें;
- (ख) रीति और प्ररूप जिसमें धारा 18 के अधीन संचिदा किए जाएंगे;
- (ग) अधिकारियों और सेवकों के स्टाफ के वार्षिक आवासन प्रोग्राम, बजट और अनुधुनों का प्ररूप, आवासन स्कीम की विशिष्टियाँ और अन्य विशिष्टियाँ धारा 23 के अधीन प्रोग्राम में अन्तर्विष्ट होंगी;
- (घ) धारा 41 के अधीन नोटिस का प्ररूप;
- (ङ) धारा 42 के अधीन व्याज की दर;
- (च) धारा 51 और 52 के अधीन नोटिसों के प्ररूप और कोई अन्य रीति जिसमें कि उनकी तामील की जाएगी;
- (छ) धारा 51 के अधीन बोर्ड के किन्हीं परिसरों का कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

305
50/8

- (ज) रीति जिसमें धारा 52 के अधीन नुकसानों का निर्धारण किया जा सकेगा ;
 - (झ) रीति जिसमें धारा 54 के अधीन अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
 - (ञ) जहाँ जिनके अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड धारा 60 के अधीन कोई राशि उधार ले सकेगा ;
 - (ट) धारा 61 के अधीन लेखों का तैयार करना, रखरखाव करना और प्रकाशन की रीति ;
 - (ठ) तारीख जिसके पूर्व, प्रहस्य जिसमें, अन्तराल जिस पर और मामले जिन पर धारा 64 के अधीन रिपोर्ट दी जाएगी ;
 - (ड) समय जिस पर और प्रहस्य और रीति जिसमें सांख्यिकी विवरणी, विशिष्टियाँ और विवरण धारा 65 के अधीन दिए जाएंगे ;
 - (इ) रीति जिसमें धारा 72 के अधीन बोर्ड को अधिकांश और पुनर्गठित किया जाएगा ;
 - (ण) अनुविधि का विनिर्देश जिसमें से किसी का उल्लंघन अपराध होगा ; और
 - (त) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन विहित है या किया जा सकेगा ।
- (3) (लौप किया गया)

74. विनियम .—बोर्ड, प्रशासक के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा समय समय पर इस अधिनियम और तद्विना बनाए किन्हीं नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा,—

- (क) किसी आवासन स्कीम के अधीन सन्निहित भवन के प्रबन्ध और प्रयोग के लिए ;
- (ख) वासों और परिसरों के आबंटन में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्त ;
- (ग) इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य का निपटारा करने के विनियमन के लिए ।

75. अनुविधि बनाने की शक्ति.—(1) बोर्ड ऐसी अनुविधि बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्विना बनाए नियम और विनियमों से असंगत न हो, और जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों का अनुपालन करने के प्रयोजनार्थ सहायक और समीचीन हो ।

(2) बोर्ड द्वारा बनाई कोई अनुविधि तब तक प्रवृत्त न होगी जब तक कि प्रशासक द्वारा उपांतरों सहित या उनके बिना पुष्ट न कर दी गई हो ।

(3) इस धारा के अधीन बनई सभी अनुविधि चण्डीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी ।

76. अनुविधि के उल्लंघन के लिए शक्ति.— जो कोई भी धारा 75 के अधीन बनाई अनुविधि का उल्लंघन करता है जिसका उल्लंघन अपराध के रूप में विहित है, सिद्धदोष होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी या जुर्माना से जो पांच सौ रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

77. बाधा डालने इत्यादि के लिए शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति,—

- (क) किसी व्यक्ति के, जिसके साथ बोर्ड ने संविदा किया है, कर्त्तव्य का पालन करने या निष्पादन करने में या कोई बात करने में जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन सशक्त है या अपेक्षित है, बाधा डालता है; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत संकमों के निष्पादन के लिए आवश्यक कोई समतल या दिशा को दर्शित करने के प्रयोजनार्थ लगाए किसी चिह्न को हटाता है ;

तो वह सिद्धदोष होने पर कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी या जुमनि से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

78. अभियोजन के लिए प्राधिकारी.—जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, बोर्ड या इस नियुक्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या परिवाद पर के सिवाय, संज्ञान नहीं लेगा ।

79. बोर्ड की ओर से निष्पादित किए गए दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण.—(1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष के लिए स्वयं या अभिकर्ता द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में उसके द्वारा बोर्ड की ओर से उसको पदीय हैसियत में निष्पादित किसी लिखित की रजिस्ट्री से सम्बन्धित किसी कार्य-वाही में हाजिर होना या उस अधिनियम की धारा 58 में यथा उपबन्धित रूप से हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा ।

(2) जहां कोई लिखित इस प्रकार निष्पादित किया गया है, वहां रजिस्ट्री अधिकारी जिसको ऐसा लिखत रजिस्ट्री के लिए पेश किया जाता है यदि वह ठीक समझता है, तो उसकी वाबत सूचना के लिए अध्यक्ष को निर्देश कर सकेगा और उसके निष्पादन का समाधान होने पर लिखित का रजिस्ट्रीकरण करेगा ।

80. बोर्ड का विघटन.—(1) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि ऐसी तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड विघटित होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से,—

- (क) सभी सम्पत्तियां, निधियां और देय जो बोर्ड में निहित हैं और उसके द्वारा वसूलीय हैं केन्द्रीय सरकार में निहित होंगे और उसके द्वारा वसूलीय होंगे ।
- (ख) बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूलीय और उसमें निहित सम्पत्तियों, निधियों और देयों की सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे ।

(3) इस धारा में की कोई बात धारा 60 की उपधारा (5) के अधीन गारन्टीकृत उपधारों और डिब्रेन्चरों के बारे में केन्द्रीय सरकार के दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

81. कठिनाइयों का दूर करना.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों से उक्त उपबन्धों के संक्रमण के परिणामस्वरूप, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो प्रशासक, अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

305

(2) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों से संक्रमण के सम्बन्ध से अन्यथा, प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो प्रशासक अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

[सं. यू०-11015/5/74-यू० टी० एल० (128)]

के० धार० प्रभु, अपर सचिव।